LODGE COMPLAINT

Complaint can be lodged to Vigilance branch, WCR, Jabalpur on the matter relating to corruption in West Central Railway by addressing the letter directly to following address and giving specific facts of the matter relating to corruption. Please write your name, postal address and affix your signature to get your complaint considered:

Address:

Sr. Dy General Manager & Chief Vigilance Officer,
Office of the General Manager, West Central Railway,
Jabalpur (M.P.)-482 001, Fax No. 0761-2677716, Phone No.0761-2677077

PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION OF INFORMER RESOLUTION, 2004 (PIDPI)

IS THERE CORRUPTION AROUND YOU? LODGE A COMPLAINT UNDER PIDPI.

YOUR IDENTITY SHALL BE KEPT CONFIDENTIAL

A VIGILANCE AWARENESS WEEK 2021 INITIATIVE

SEND COMPLAINTS IN WRITING TO:
The Secretary, Central Vigilance Commission
Satarkta Bhavan , Block-A
GPO Complex , INA
New Delhi - 110 023

(MARK THE ENVELOPE AS "PIDPI". COMPLAINTS SHOULD ONLY BE AGAINST CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES, INCLUDING PSUs, PSBs AND UTs etc.)

पश्चिम मध्य रेल
West Central Railway

राजा हरिश्चन्द्र कर्तव्य पथ पर

स्वतंत्र भारत @ 75:
सत्यनिष्ठा
से
आत्मनिर्भरता

Independent India @ 75:
self reliance
with
Integrity

बीना 1.7 MW सोलर पावर
ओ.एच.ई. के लिए

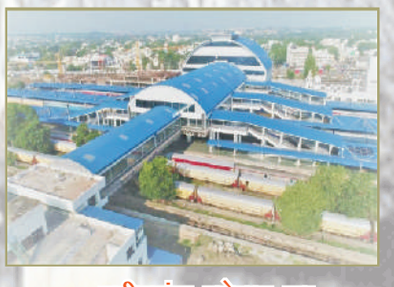

हबीबगंज स्टेशन का
पुनर्विकास

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सतर्कता पत्रिका
VIGILANCE BULLETIN

साल / Year : 2021 अंक संख्या / Issue No.: 26

- Sir M. Visvesvaraya

- "To give real service, you must add something which cannot be bought or measured with money."
- "Remember your work may be only to sweep a railway crossing, but it is your duty to keep it so clean that no other crossing in the world is as clean as yours".
- An Engineer is a Person who applies the skills and knowledge of basic science for the good of society.

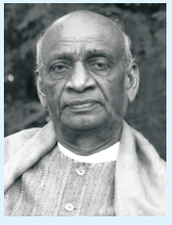

''कर्तव्यनिष्ठ पुरूष कभी निराश नहीं होता अतः जब तक जीवित रहें और कर्तव्य करते रहें तो इसमें पूरा आनन्द मिलेगा।''

''चरित्र के विकास से बुद्धि का विकास तो हो ही जाएगा और लोगों पर छाप तो हमारे चरित्र की ही पड़ती है।''

- सरदार वल्लभ भाई पटेल

आज़ादी का अमृत महोत्सव

आज़ादी का अमृत महोत्सव

घोषणा-पत्र

यह पुस्तिका केवल सांकेतिक है और किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है और न ही इसका उद्देश्य किसी विषय पर नियमों, प्रक्रियाओं और मौजूदा निर्देशों / दिशा निर्देशों का विकल्प होना है। इसमें दिए गए प्रावधान / संदर्भ किसी भी तरह से किसी भी रेलवे कोड, नियमावली और परिपत्रों में निहित नियमों का अतिक्रमण नहीं करते हैं, उन्हें शामिल विषय के उचित स्पष्टीकरण के लिए व्यक्तिगत रूप से और अन्य प्रासंगिक नीति परिपत्रों के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। साथ ही इस पुस्तिका को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए और जहाँ भी आवश्यक हो, विषय पर हमेशा मूल नियमों / निर्देशों का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

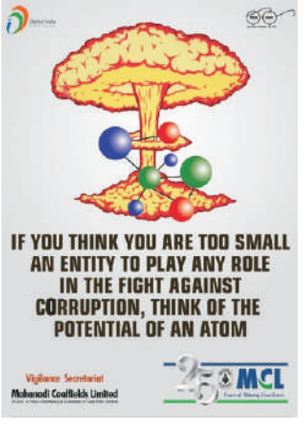

DISCLAIMER

This Booklet is only indicative and is by no means exhaustive. Nor it is intended to be a substitute for rules, procedures and existing instructions / guidelines on the subject. The provisions herein do not in any way supersede the rules contained in any of the Railway Codes, Manuals and the Circulars referred to herein should be read both individually and in conjunction with other relevant policy circulars for proper appreciation of the issues involved. This booklet also should not be produced in any Court of Law and wherever necessary, references should always be made to the original rules / instructions on the subject.

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बडी बाधा हैं। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :–

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करुँगा।
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा।
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करुँगा।
- जनहित में कार्य करुँगा।
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करुँगा।
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेन्सी को दूँगा।

नदी का एक किनारा निःश्वास देकर कहता है
''संपूर्ण सुख सामने के किनारे पर ही हैं।''
नदी का दूसरा किनारा आंहे भरकर कहता है
''दुनिया में जितना सुख है वह सब पहले ही किनारे पर है।''

रविन्द्रनाथ टैगोर

Integrity Pledge

I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. I believe that all stakeholders such as Government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

I realise that every citizen should be vigilant and commit to highest standards of honesty and integrity at all times and support the fight against corruption.

I therefore, pledge:

- To allow probity and rule of law in all walks of life;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner;
- To act in public interest;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour.
- To report any incident of corruption to the appropriate agency.

Life is like riding a bicycle, to keep your balance,
you must keep moving.

– Albert Einstein

Suresh N Patel
Chief Vigilance Commissioner

सत्यमेव जयते

सतर्कता भवन, जी.पी.ओ.
कॉम्पलैक्स, ब्लॉक–ए,
आई.एन.ए., नई दिल्ली–**110023**
Satarkta Bhawan, G.P.O.
Complex, Block-A,
I.N.A., NEW DELHI -110023
Telgraphic Add.: SATARKTA : New Delhi
E-mail : cenvigil@nic.in
Website : www.cvc.nic.in
EPABX 011-24600200
QSDI/Fax : 011-24651186

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Message

It is a matter of pleasure that during the current year the Commission has issued the guidelines for observing Vigilance Awareness Week from 26th Octoboer, 2021 to 1st November, 2021. The theme for the current year's Vigilance Awareness Week is as under :

स्वतंत्र भारत @ 75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

"Independent India @ 75 : Self-Reliance with Integrity"

Self-reliance and integrity are the two ideals which need focus as they are important for achieving all-round progress and development of the country. During the Vigilance Awareness Week there is an opportunity for all to re-affirm ourselves towards our collective duty and responsibility to ensure transparency and integrity in the systems and procedures.

This year a special initiative has been taken to create awareness for the complaint mechanism available under the Public Interest Disclosure and Protection of Informers (PIDPI) resolution. During the current year, all the organizations have also been requested to focus on improvements in internal processes and other house-keeping activities.

The Commission appeals to all the citizens of the country to come forward, during the 75th year of Independence and support the drive to achieve self-reliance with integrity.

(Suresh N Patel)

Ramesh Kumar Jha
Principal Exec. Dir. (Vig.)
&
Chief Vigilance Officer

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड/रेल भवन
रायसीना रोड, नई दिल्ली–**110001**
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN
RAISINA ROAD, NEW DELHI -110001

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Message

I am pleased to know that Vigilance Organisation, West Central Railway, is bringing out 26th issue of Vigilance Bulletin (Satarkata Patrika), during 'Vigilance Awareness Week- 2021. I am glad to know that this year i.e. on the year of India's 75th independence. Railway is observing Vigilance Awareness Week on the theme of "**Independent India @ 75: Self Reliance with Integrity**". Integrity of citizens including Government employees is a mantra to achieve self-reliance for our great nation.

This bulletin, (Satarkta Patrika) plays a great role by providing gist of plethora of critical cases and situations of wrong doings. It educates Railway Officials in general as to how they should act in similar situations so that they do not commit any mistake. The purpose of the bulletin is to create awareness amongst the employees about the need to perform in a transparent, objective, honest, selfless and vigilant manner, following rules and procedures correctly.

I congratulate the Vigilance Organisation of West Central Railway for their sincere efforts in bringing out this "Satarkta Patrika". I am really very happy that they are also bringing out a digital version of this bulletin with previous five years bulletin on official website of West Central Railway which will be just a click away any time anywhere for Railways Employees. I have firm belief that the decision making capability of Railway Officials of West Central Railway will enhance many fold if they go through the bulletin in true earnest.

(Ramesh kumar Jha)

पश्चिम मध्य रेल

सुधीर कुमार गुप्ता
महाप्रबंधक, प.म.रे.

संदेश

यह मेरे लिए हर्ष का विषय है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2021 के अवसर पर, पश्चिम मध्य रेलवे का सतर्कता विभाग रेल कर्मचारियों की जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए सतर्कता बुलेटिन का 26 वां अंक प्रकाशित कर रहा है।

हमारा उद्देश्य यात्रियों एवं अन्य ग्राहकों को ईमानदारी और भ्रष्टाचार/कदाचार से मुक्त सेवा प्रदान करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम में से प्रत्येक को ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। इस संबंध में रेल कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए सतर्कता बुलेटिन प्रभावी माध्यम है।

इस सतर्कता बुलेटिन में वर्क्स, स्टोर, कार्मिक एवं वाणिज्य मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण केस स्टडीज को सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नैतिक आलेख एवं सतर्कता विभाग द्वारा गत वर्ष में जारी किये गये प्रणाली सुधार एवं डीएआर मामलों से संबंधित दिशा–निर्देश का भी समावेश किया गया है।

मुझे विश्वास है कि यह बुलेटिन कर्मचारियों और अधिकारियों को अपने कर्तव्यों को ईमानदारी, कुशलता और निडरता से निर्वहन करने में सहायक सिद्ध होगा।

मैं, रेलवे कर्मचारियों में निष्ठा और ईमानदारी के संदेश को प्रसारित करने के उद्देश्य पूर्ण प्रयासों के लिए सतर्कता संगठन को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

(सुधीर कुमार गुप्ता)

West Central Railway

Sudhir Kumar Gupta
General Manager W.C.R.

Message

It gives me great pleasure that on the occasion of Vigilance Awareness Week 2021, Vigilance Organization of West Central Railway is publishing 26th issue of Vigilance Bulletin for education and guidance of Railwaymen.

Our aim is to provide service to passengers and other customers with integrity and free of any malpractice/corruption. It is therefore, necessary that each one of us should discharge our duties with integrity, honesty and devotion. Vigilance Bulletin is effective tool to create awareness in Railwaymen in this regard.

This Vigilance Bulletin is full of interesting case studies on Works and Stores contract, Personnel and Commercial matters and contains Articles on Ethic system improvements issued by Vigilance Department, and instructions on D&AR matters.

I am sure, this Bulletin will be helpful to staff and executives in performing their duties honestly, efficiently and fearlessly.

I convey my good wishes to the Vigilance Organization for taking purposeful efforts in spreading the message of integrity, honesty and sincerity amongst Railwaymen.

(Sudhir Kumar Gupta)

पश्चिम मध्य रेल
जबलपुर

विजय कुमार गुप्ता
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

संदेश

यह हर्ष का विषय है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के अवसर पर सतर्कता बुलेटिन का 26वां अंक लाया जा रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 का विषय – **''स्वतन्त्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता''** है।

भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो देश की अर्थव्यवस्था को जड़ से खोखला करता है और इसको ध्वस्त कर देता है। भ्रष्टाचार असमानता के बढ़ने का कारण बनता है, जो कि वंचितों में मनोवैज्ञानिक निराशा उत्पन्न करता है। यह उत्पादकता, विकास, निवेश और नौकरी के अवसरों को कम करता है। संक्षेप में यह देश में आर्थिक विकास की दर को कम करता है। भ्रष्टाचार खत्म होता है तो देश का विकास होता है, देश समृद्ध होता है। साथ ही देश का प्रत्येक नागरिक भी आत्मनिर्भर होता है।

भ्रष्टाचार के इस राक्षस से निपटने के लिए, बहुस्तरीय कार्यवाही की आवश्यकता है। लोगों की नैतिक शिक्षा इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। लोगों को लालची होने के बजाए संतुष्ट जीवन जीने की शिक्षा दी जानी चाहिए। भ्रष्टाचार से निपटने के अन्य उपाय हैं – प्रणाली में सुधार, नियमों का सरलीकरण और पारदर्शिता। ईमानदार व्यक्ति की सराहना और भ्रष्ट के लिए कठिनतम सजा की भी बहुत जरूरत है। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुझे विश्वास है कि सतर्कता बुलेटिन का यह 26वां संस्करण भी पूर्व में प्रकाशित संस्करणों की भांति सही जानकारी उपलब्ध कराएगा और कार्यक्षेत्र में दक्षता, निर्भयता एवं ईमानदारीपूर्वक कार्य करने में सहयोग प्रदान कर सकेगा।

(विजय कुमार गुप्ता)

West Central Railway
Jabalpur

Vijay Kumar Gupta
Sr. Dy. General Manager

FOREWORD

It is heartening that 26th issue of Vigilance Bulletin is being brought out on the occasion of Vigilance Awareness Week 2021. The theme of Vigilance Awareness Week-2021 is **"Independent india @75: Self Reliance with integrity."**

Corruption impacts the very foundation of an economic progress and destroys it completely. Corruption creates opportunity for increased inequality, reduces the return of productive activities which generates psychological frustration to the underprivileged. It reduces productivity growth, investment, job opportunities etc. In nutshell, it lowers the rate of economic growth of the country. The nation develops and becomes self reliant with end of corruption.

To tackle this monster of corruption, multipronged action is required. Education of people in ethics & morals is an important step to tackle the problem at its root. People should be taught to live a satisfied life rather than greedy life. Other measure to combat corruption is system improvement, simplification of rules & transparency. Exemplary punishment to corrupt & appreciation of honest person is also very much needed. Making people aware about the issues related to corruption is also another important method to sensitize people about & against corrupt practices.

I hope that this 26th issue of Vigilance Bulletin, like previous issues, will also be useful in providing right information to the staff and officers to help them in carrying out their duties efficiently, fearlessly and honestly.

(Vijay Kumar Gupta)

अनुक्रमाणिका/ INDEX

क्र.सं./ Sr. No.	विषय/Subject	पृष्ठ संख्या/ Page No.
1.	आलेख/ Articles	12-26
2.	निवारक जाँच/ Preventive Check	27-34
3.	प्रणाली सुधार/ System Improvement	35-58
4.	फोटो गैलरी/ Photo Gallery	C1-C8

"वही समाज सदैव सुखी रह सकता है जिसने नैतिक गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया है।"

– रस्किन

सत्य निष्ठा से आत्मनिर्भरता

वर्तमान समय की आवश्यकता (एक सोच एवं एक कार्य पद्धति)

विजय कुमार गुप्ता
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

"Every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country but with certain duties"
Sardar Ballabh Bhai Patel

देश का विकास तभी संभव है, जब देश के नागरिक हमेशा याद रखें कि, वे उस भारत देश के नागरिक हैं, जो उन्हें बिना किसी भेदभाव के, स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करने के सभी अधिकार प्रदान करता है। अतः हम सभी नागरिकों का प्राथमिक लक्ष्य यह होना चाहिए कि, देश के विकास के लिए हम अपने कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करें। जिस प्रकार हम अपने अधिकारों के प्रति पूर्ण सजग रहते हैं, उसी प्रकार हमें अपने कर्तव्यों का भी पूर्ण दायित्व के साथ पालन करना चाहिए एवं कार्य के दौरान नियमों की उपेक्षा अथवा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा भी अपने चरित्र में उतारना होगी।

हम सभी शासकीय सेवक सेवा में पदार्पण करते समय सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने हेतु शपथ ग्रहण करते हैं एवं शपथानुसार, हम अपने शासकीय कार्य को सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से करते हुए देश सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रारंभ में ली गई शपथ को कालांतर में भूल जाते हैं, एवं ऐसे कार्यों में लिप्त हो जाते हैं जो उनके पद एवं प्रतिष्ठा के लिए उपयुक्त नहीं होता है। शासकीय सेवक द्वारा, दिये गये कार्य को करने में जानबूझकर देरी करना अथवा न करना, कार्य को करते समय उपयुक्त मानदण्डों से कमतर श्रेणी का कार्य करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है एवं संस्थान की प्रगति में बाधक होता है।

यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी एवं मितव्ययता के साथ दी गई समय–सीमा में सम्पन्न कराते हैं तो यह कार्य संस्थान के लिए समयानुसार उपयोग हेतु उपलब्ध हो जाता है एवं धनराशि की बचत होती है, संस्थान की छबि अच्छी होती है एवं राष्ट्र के विकास में हमारा कार्य सहायक होता है। इसी प्रकार हम अपने कार्य को सत्यनिष्ठा एवं सजगता से करते हुए अपने छोटे–छोटे कार्यों से भी देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सहयोग कर सकते हैं। सत्यनिष्ठा व्यक्ति में आत्मविश्वास को बढ़ाता है, निडर बनाता है। उसके विचार, कर्म स्वतंत्र होते हैं और इस तरह वह आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर होता है।

"If you salute your duty, You need not to salute anybody.
But if you pollute your duty, You have to salute everybody"
A P J Kalam

यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करते हैं तो हमारे सहकर्मी और अधिकारी कार्य को पूर्ण कराने में हरसंभव सहायता करते हैं और हमें खुशी प्राप्त होती है। किंतु यदि हम अपने कार्य को लापरवाहीपूर्वक समय पर नहीं करते हैं तो सहकर्मियों व अधिकारियों का असहयोग प्राप्त होता है और हमें दुख महसूस होता है।

अतः जीवन में खुश रहने के लिए हमें अपने कार्य को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, समर्पण, सजगता के साथ ही करना चाहिए जिससे देश को आत्मनिर्भर बनाने में संस्थान का योगदान परिलक्षित हो सके एवं संस्थान के सभी कर्मचारी गौरव का अनुभव कर सकें।

(विजय कुमार गुप्ता)
वरि. उप महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी
पमरे, जबलपुर

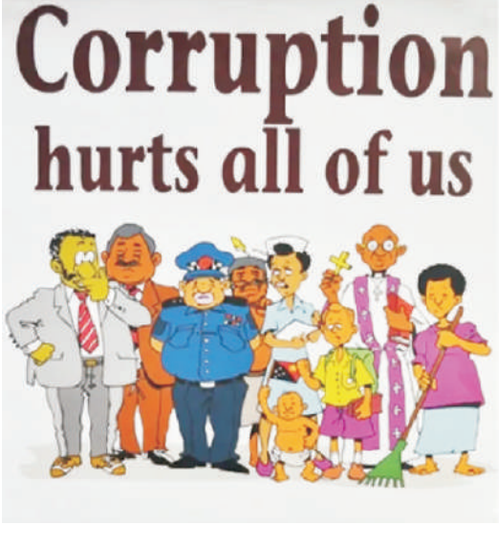

छोटी शुरुआत के बड़े मायने

संजीव तिवारी
मुख्य सतर्कता अधिकारी
प.म.रे. जबलपुर

हर कार्य जिन्दगी में महान संभावनाएं लेकर आता है। छोटे से बीज से ही विशाल वृक्ष बनते हैं और देते हैं हमें ढेर सी ऑक्सीजन, छाया और फल। कर्मयोगी इसलिए अपने काम को ही जीवन का आधार मानते हैं। हमारी जिन्दगी में कई बार ऐसा लगता है कि यह काम छोटा है, मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि जब कोई नदी अपने उदगम से निकलती है तो वह बहुत छोटी होती है। एक पेड़ जो अपनी विशालता से आकर्षित करता है, अनेक पक्षियों का बसेरा होता है, वह भी प्रारंभ में एक बीज ही रहता है। एक बहुमूल्य मोती अपने प्रारंभ में बालू का कण ही होता है।

यह बात याद रखिए कि सफलतम लोगों का जीवन प्रायः उन कामों से प्रारंभ होता है जिन्हें हम मामूली समझकर छोड़ देते हैं। कोई भी व्यक्ति जब खुद को कर्म, परिश्रम और ईमानदारी की आग में तपाता है तो सफलता निश्चित ही उसके साथ–साथ चलती है। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बाधाएं उसे सफलता के रहस्य और मार्ग बताती हैं। एक किताब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने पूरे मन से कर्म करे तो पूरा ब्रह्मांड उसे लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक हो जाता है।

छोटी शुरुआत के मायने ठहरना नहीं है, यात्रा का आरंभ है। जब भी ओलंपिक का जिक्र होता है तो अमरीका के टेनेसी में रहने वाली चार साल की लड़की विल्मा रुडोल्फ की प्रेरणादायक उपलब्धि की यादें पुनः जीवित हो जाती हैं। उन्हें बचपन में लकवा, स्कारलेट फीवर तथा डबल निमोनिया हो गया था। अनेक डॉक्टरों के अनुसार वह दोबारा सामान्य रूप से नहीं चल सकती थीं। वह 9 वर्ष की उम्र तक मेटल लेग ब्रेसेस की सहायता से चल पाती थीं। लेकिन वो हिम्मत से जूझती हैं और 12 वर्ष की उम्र में चलने की जगह दौड़ने का अभ्यास करने लगी। फिर ऐसा समय भी आया जब उन्होंने 1960 रोम ओलंपिक में शामिल होकर ओपन प्रतिस्पर्धा में तीन स्वर्ण पदक जीतेः 100 मीटर फाइनल, 4×100 मीटर फाइनल एवं 200 मीटर फाइनल। भारतीय महिला हॉकी टीम, जिसमें 12 खिलाड़ी भारतीय रेल की थीं, ने भले ही टोक्यो ओलिम्पिक 2021 में

पदक न जीता हो, लेकिन अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। यहाँ तक कि ब्रोंज मैडल के लिए हुए मैच में आधे समय तक यह टीम पिछले ओलिंपिक के स्वर्ण विजेता ग्रेट ब्रिटैन से हाफ टाइम तक 3–2 से आगे भी थी।

हताश, निराश और अवसाद से घिरे अर्जुन को महाभारत के युद्ध में श्रीकृष्ण कर्मयोग का ही उपदेश देते हैं। कर्मयोग के भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हैः–

करम प्रधान विश्व रचि राखा,

जो जस करहि सो तस फल चाखा।

WHAT IS VIGILANCE

"Vigilance" is defined as watchfulness/ caution/ circumspection. In the context of administration, Vigilance signifies maintenance of probity and integrity in public life. It is essentially a management function aimed at ensuring orderly conduct of affairs by the public servant. The focus of vigilance is to protect the honest and punish the corrupt.

स्वतंत्र भारत @ 75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भर भारत

संदीप जैन
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (ई)
प.म.रे. जबलपुर

आज भारत देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के इन 74–75 वर्षों में देश ने कृषि, प्रौद्योगिकी, तकनीकी, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। विगत कुछ वर्षों में देश ने अनेक क्षेत्रों में विदेशों पर अपनी निर्भरता को खत्म करने तथा आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। आज भारत, मिशन मंगलयान/चंद्रयान आदि–आदि के माध्यम से विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। भारतीय विश्व में लगभग सभी देशों और सभी क्षेत्रों में नित नई ऊंचाईयों को छू रहे हैं। नए–नए आविष्कारों, खोजों और तकनीकी विकास से देश ने विश्व में आज अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इसके बावजूद अभी भी देश अनेक क्षेत्रों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत रक्षा हथियारों के आयात में विश्व में दूसरे स्थान पर था, जो कि यह बताता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्माण इकाइयां विकसित करने में असफल रहा है। इसके पीछे के कारणों को देंखे तो यह पाते हैं कि रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार आम बात है और इसी के कारण भारत ने रक्षा क्षेत्र में अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए निर्माण इकाइयाँ विकसित करने में रूचि नहीं दिखाई। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार के कारण हमने आत्मनिर्भर बनने में रूचि नहीं दिखाई और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों की तरफ ताकते हैं।

भारत एक ऐसा देश है जिसके पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है, विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी है, दुनिया का बेहतरीन टेलेंट है। उसके बाद भी संसाधनों का सदुपयोग न होने के कारण भारत अभी भी अनेक क्षेत्र में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दूसरों पर आश्रित है। इसी कारण से कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों में सप्लाई चेन बाधित होने से देश को अनेक भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ा। कहा भी गया है कि **''पराधीन सपनहुं सुख नाही''** जो दूसरों पर निर्भर होता है उसे अनेक प्रकार की कठिनाईयों/मुसीबतों से दो–चार होना ही पड़ता है।

यदि कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर (स्वाधीन) होता है तो वह हर मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ता रहता है और मुसीबतों से खुद को आसानी से बाहर निकाल लेता है। यह बात एक देश/राष्ट्र के परिपेक्ष्य में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। कोविड महामारी के कारण उत्पन्न आपदा को अवसर में बदलने तथा भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए मान्नीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरूआत की गई। आत्मनिर्भर का शाब्दिक अर्थ है स्वयं पर निर्भर होना अर्थात् खुद को किसी अन्य पर आश्रित नहीं करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान विदेशों से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के संदर्भ में है। उनके निर्माण के लिए देश में ही संसाधन जुटाना तथा विदेशों पर निर्भरता को खत्म करना। अभियान का उद्देश्य न सिर्फ देशवासियों की जरूरतों को अपने देश में बने हुए सामानों से ही पूर्ति करना, वरन् उन सामानों को देश के बाहर निर्यात भी करना है। केन्द्र सरकार के स्तर पर देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाएं जैसे स्टार्ट–अप, मेड इन इंडिया/मेक फॉर इंडिया एण्ड वर्ल्ड, रि–स्किल, अप–स्किल, वोकल फॉर लोकल आदि–आदि शुरू की गई हैं। परंतु देश में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। आज भी देश के अनेक क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। भ्रष्टाचार विकास का असली दुश्मन है। देश को वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी को ईमानदारी और निष्ठा से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा। बिना सत्यनिष्ठा के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दुर्लभ लक्ष्य को साधना असंभव हैं। सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भर भारत बनाकर ही हमारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा।

मनुष्य के कर्म ही उसके विचारों की सबसे अच्छी व्याख्या है। **लाक**

सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता

बसंत कुमार शर्मा
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (या०),
पश्चिम मध्य रेल

मानव जीवन में छवि या प्रतिष्ठा सबसे मूल्यवान संपत्ति है और नेतृत्व का सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुण है। इसी से घर, संस्था, संगठन और समाज में हमारी छवि का निर्माण होता है। मन, वचन और कर्म से एक होना व्यक्ति को सत्यनिष्ठ बनाता है। सत्यनिष्ठा का मतलब है अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर उसके प्रति सच्चे और ईमानदार बने रहकर उसके अनुरूप कार्य करना। सत्यनिष्ठा एवं उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित अपनी कार्यपद्धति के माध्यम से हम न केवल अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं अपितु रेल सेवक के रूप में भारतीय रेल को भी उत्कृष्टता के शिखर पर स्थापित कर सकते हैं। हमारी सोच जितनी ईमानदार, सकारात्मक और सृजनात्मक होगी अपने सहकर्मियों और जनता के दिलों में हमारी उतनी ही अधिक पैठ भी होगी, जो अंततः जीवन के वास्तविक आनंद का कारण बनेगी। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को हमें अपनी जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग बनाना होगा तभी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश के संसाधनों को नष्ट कर रहा है, विकास की बहती हुई भागीरथी में अवरोध उत्पन्न कर रहा है। हम सबको मिलकर प्रयास करना है कि इस दीमक को सदैव के लिए नष्ट कर दें। मनुष्य अपनी इच्छाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए कभी–कभी इतना उतावला हो जाता है कि वह सही और गलत रास्ते में भेद नहीं कर पाता है और भ्रष्टाचार के कुचक्र में बुरी तरह उलझ जाता है। धीरे–धीरे हर काम में उसे रिश्वत लेने की आदत पड़ जाती है, फिर वह सोचने लगता है सब कर रहे हैं तो मैं यदि कर रहा हूँ तो क्या गलत है। कुल मिलाकर उपभोग वाली प्रवृत्ति विनाश की ओर ले जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा है, इच्छा ही दुख का कारण है. यदि हम इच्छाओं पर नियंत्रण कर लें और मेहनत और ईमानदारी से जो प्राप्त हुआ है उससे संतोष कर लें तो किसी गलत कार्य की ओर अग्रसर नहीं होंगे। अपनी बात को कुछ दोहों के माध्यम से भी मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूँ–

पूर्ण एक इच्छा हुई, दूजी खड़ी तुरंत।
हो पाया है क्या कभी, इच्छाओं का अंत?
बैठे हैं फन खोलकर, इच्छाओं के नाग।
कहीं तुझे ये डस न लें, भाग सके तो भाग।।

मनुष्य के संपूर्ण कार्य उसकी इच्छा के प्रतिबिम्ब होते हैं। **अज्ञात**

धन की लिप्सा का हुआ, मन में अगर प्रवेश।
आना निश्चित साथ में, दुख दारिद्र कलेश।।
होगा जीवन का सफर, उतना ही आसान।
प्रियवर जितना आपका, कम होगा सामान।।
रखो हृदय में सतर्कता, कथनी करनी एक।
आफत आएँगी मगर, खोना नहीं विवेक।।
दो रोटी ईमान की, सुख देतीं दिन रैन।
हलवा भ्रष्टाचार का, करे बहुत बेचैन।।
बेईमानी से मिला, सुख होता है अल्प।
मेहनत से जो सुख मिले, उसका कहाँ विकल्प।।
सत्यनिष्ठ होकर करो, अपने सारे काम।
होगा अपने आप ही, दुनिया भर में नाम।।
यही आपकी देश को, होगी भारी देन।
दौड़े रेल विकास की, नहीं खींचना चेन।।
तनिक न भ्रष्टाचार की, गली जहाँ पर दाल।
वही देश तो विश्व में, हो पाए खुशहाल ।।
लेने वाले सौ अगर, देने खड़े हजार।
दोनों भ्रष्टाचारियों, पर करना है वार।।
देश आपसे कर रहा, मात्र एक आह्वान।
रोको भ्रष्टाचार को, सब मिलकर श्रीमान।।
जय भारत

भ्रष्टाचार है एक बीमारी,
दण्डित हो हर भ्रष्टाचारी।

भ्रष्टाचार - एक बुरी आदत

अरूण कुमार
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भ०),
पश्चिम मध्य रेल

भारत में आज लगभग सभी प्रकार के आईटी कंपनियां, बड़े कार्यालय, अच्छी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी आज भारत पूरी तरीके से विकसित होने की दौड़ में बहुत पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार का मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ हैं भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट + आचार, अर्थात भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है कि वह आचरण जो किसी भी प्रकार से अनैतिक और अनुचित हो। भ्रष्टाचार दीमक की तरह है जो कि धीरे–धीरे हमारे देश को खोखला करता जा रहा है। भ्रष्टाचार में कमी ना दिखने का सबसे बड़ा कारण है कि भ्रष्टाचार अब हर किसी की आदत सा बन चुका है। अब भ्रष्टाचार होने पर भी लोगों को लगता है कि यह हर दिन का काम ही तो है। इसके खिलाफ हमें जल्द ही आवाज उठाकर इसे कम करना होगा नहीं तो हमारा पूरा राष्ट्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार को कम करने में कठोर कानून, निष्पक्ष जांच संस्था, न्यायालय में शीघ्र निर्णय आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन यह सोचना कि केवल इन उपायों से भ्रष्टाचार मूलतः समाप्त हो जाएगा सिर्फ़ एक स्वप्न मात्र होगा। अगर हम समाज से वास्तव में भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक सोच में भी पूर्णतः बदलाव लाना होगा। लालच और असंतुष्टि एक ऐसा विकार है जो व्यक्ति को बहुत अधिक नीचे गिरने पर विवश कर देता है। व्यक्ति के मस्तिष्क में सदैव अपने धन को बढ़ाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है। लोभी स्वभाव के साथ–साथ आदत व्यक्ति के व्यक्तित्व में बहुत गहरा प्रभाव डालती है। जैसे एक मिलिट्री रिटायर्ड आफिसर रिटायरमेंट के बाद भी अपने ट्रेनिंग के दौरान प्राप्त किए अनुशासन को जीवन भर वहन करता है। उसी प्रकार लोगों को भ्रष्टाचार की आदत लग जाती हैं और उसे अपने गलत कार्य भी ठीक लगने लगते हैं क्योंकि वह अपने आस पास भी ऐसा ही देखता हैं। पहले कार्यालय में घूस लेना अथवा भ्रष्टाचार, खासकर दतरों में काम करने वाले लोगों की आय कम और व्यय ज्यादा होने के कारण दिखता था परंतु अब जब सरकार ने कर्मचारियों को अच्छा वेतन देना भी शुरू कर दिया है, तब भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं दिख रही है। क्योंकि अब भ्रष्टाचार लोगों की एक आदत बन चुकी है।

हम सभी कर्मचारियों को ना ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहिए और ना ही किसी को करने देना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और अपने व्यवहार एवं आचरण में संयम रखना चाहिए जिससे हम लोगों को ये बुरी आदत नहीं लगे । आइये हम सभी लोग मिलकर ये प्रण ले कि हमेशा ईमानदारी से काम करेंगे और हम भ्रष्टाचार रूपी बुरी आदत के शिकार नहीं होंगे और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने देश को आगे नए शिखर पर ले जायेंगे।

सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता के लिए जिम्मेदारी

—: विकास पथ पर भ्रष्टाचार अवरोध है :—

एस.के.महतो
सहा. सत. अधिकारी (एस & टी)
प.म.रे. जबलपुर

भ्रष्टाचार एक ऐसा जहर है जो मनुष्य को आंतरिक रूप से खोखला करता रहता है, और मनुष्य उसमें लिप्त होकर अपने संस्कार, आचार–विचार, विकास से कब विलुप्त हो जाता है उसे पता नहीं लग पाता है। भ्रष्टाचार सिर्फ अनैतिक रूप से कमाई गई राशि ही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का ठीक तरह से निष्पादन न करना भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। भ्रष्टाचार विरोधी सामग्री के रूप में तरह–तरह के उपदेश, नुक्कड़–नाटक, फिल्म एवं विचार आदि हमारे जीवन में आते रहते हैं, परंतु व्यक्ति जब तक आत्मिक रूप से पूर्ण समर्पण की भावना से स्वयं दृढ़ निश्चय नहीं होता तब तक संपूर्ण प्रयास व्यर्थ है। इस सापेक्ष में एक बहुप्रचलित कहानी को उद्धरित करना चाहूंगा, वह इस प्रकार से है कि एक समय सम्राट अकबर अपनी प्रजा को आदेशित करते हैं कि अमूक स्थान पर रिक्त कुण्ड में सभी लोग सूर्य उदय होने से पूर्व कम से कम एक लोटा/पात्र दूध डालेंगे। उक्त आदेश का फलीभूत करने के लिए एक व्यक्ति ने सोचा कि जब सभी को रिक्त कुण्ड में एक लोटा दूध डालना है तो मैं यदि एक लोटा पानी ही डाल दूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और रोशनी के अभाव में मुझे कोई इस कृत्य के लिए चिन्हित भी नहीं कर पायेगा, यह सोचकर उसने रिक्त कुण्ड में दूध के स्थान पर पानी डाल दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी तरह सोचने वाले और भी व्यक्ति हैं और इस तरह लगभग कुछ लोगों को छोड़कर सभी ने रिक्त कुण्ड में दूध के स्थान पर पानी डाल दिया। जब प्रातः सूर्य उदय उपरांत सम्राट अकबर ने उस कुण्ड को देखा तो वह पानी से भरा था। उसमें दूर्ध सिर्फ नाम मात्र के लिए था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए दिये गये कार्य को एवं कर्तव्यों को ठीक तरह से अथवा पूर्ण समर्पण भाव एवं ईमानदारी से पालन करें तो हम स्वयं अपने साथ–साथ देश का विकास कर सकते हैं।

व्यक्ति को अपने मन में भ्रष्टाचार के विचार न आयें, ऐसा वह क्या करें ? तो मेरे विचार से यह तभी संभव है जब वह दिये गये कार्य में स्वामित्व (ownership) महसूस करे। यदि व्यक्ति स्वामित्व महसूस करे तो वह कभी भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को अपने लिए स्वयं की धनराशि से मोबाईल खरीदना होता है तो वह पहले हर प्रकार की जानकारी जो उस मोबाईल को खरीदने हेतु सहायक होती है उसे ठीक तरह से समझकर उचित मूल्य निर्धारण करते हुए मोबाईल खरीदता है एवं उसका उपयोग सुरक्षित रूप से करता है ताकि उसकी सर्विस अच्छी तरह से ले सके, परंतु यही धनराशि जब दूसरे की या रेल संपत्ति या राष्ट्र संपत्ति होती है तो उसके प्रयास परिपूर्ण नहीं होते क्यों ? कारण स्वामित्व (ownership) की भावना महसूस नहीं करता है।

मेरे यह विचार आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं कि आप स्वयं का अवलोकन करते हुए अपना और राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करें।

Unbecoming of Govt. Servant

Sanjay Kr. Sinha
Enquiry Officer
WCR/Jabalpur

In the past few years, bureaucracy has increased in speed, and the prestige idea of public services has declined. The effortless sense of superiority and unquestionable attitude of authority are gone forever. Traditional methods of working have lost their magic, and bureaucrats have become hesitant customers in this ideological market. The "Guardian" suddenly became a fallen angel.

To overcome this declining image of a government employee and to regulate the conducts, very often a term comes up in the picture which is **"unbecoming"**. According to the rules of conduct, actions can be taken against any behaviour deemed "unbecoming". Now, this is very subjective. Conduct **unbecoming** of a public servant to be treated as misconduct exposes a grey area hot amenable to objective evaluation.

As far as Railway servant is concern, Rule 3.(1) (iii) of The Railway Service (Conduct) Rules,1966 is broadly uses as part of allegation in most of the charge sheets issued under the provisions of Railway Service (Discipline and Appeal) Rules, 1968. This sub-rule is part of the general rule of The Railway Service (Conduct) Rules 3. In this sub-rule it has been mentioned that *"Every railway servant shall at all times do nothing which is unbecoming of a railway servant"*. However the conduct 'unbecoming of a railway servant' is not defined in any rules.

As per the custom and usage prevalent in our country, interpretations of such undefined rules made by the courts are followed if the rule making authority does not define it. According to the decision made in case of Laxminarayan V/s District Magistrate, AIR 1969, ALL 155, the Hon'ble High Court observed Article 311 of the Constitution does not restrict the power of the State to dispense with the services of any Government servant for conduct which it considers to be *unworthy or unbecoming* of an official of the State. Conduct of the employees should conform to the ordinary norms of decency and morality prevailing in the society and one should not violate the law of the land. Government can also demand a certain standard of conduct from its employees even in their private life not connected with their official duties.

In this regard the Central Administrative Tribunal, Jabalpur has also observed that while deciding as to whether the conduct is unbecoming , the DA should be largely guided by common sense as unbecoming conduct has not been defined in the conduct rule 3(1)(iii). In broad sense we can summarised it in the following points:-

(i) It is in conformity with the ordinary norms of decency and morality.
(ii) It is in consonance with the laws of the land.
(iii) Should not be against the policies of the government.
(iv) There is a deliberate breach of departmental rules.

(U.O.I V/S K.K.Garg-1989(1) CAT JBP SLRP 184)

The Government of India has also issued the following instruction in reference to the '**Unbecoming of a Government Servant'**

(i) Neglect by a Govt. Servant of his wife and family in manner unbecoming of railway servant should be regarded as a good and sufficient reason to justify action being taken against him.(in the case of railway employee action may be taken against him under Rule 6 of Rs(D&A) Rules,1968). It should, however, be noted that is such cases the party affected has a legal right to claim maintenance. If any legal proceedings in this behalf should be pending in a court of law, it would not be correct for Government to take action against the Government servant on this ground as such action may be construed by the court to amount to contempt.

{Ref: RB letter no. E(D&A)2005/GS 1-1 dt. 12.04.2005 [MHA OM no. 25/16/59(A) dated 01-09-1959] }

(ii) Submission of representation directly to higher authority by passing the prescribed channel of communication , has to be viewed seriously and appropriate disciplinary action should be taken against those who violate these instruction as it can rightly be treated as an unbecoming conduct attracting the provision of Rule 3(1)(iii) of the CCS(Conduct) Rules,1964 (DOPT OM no. 11013/7/99-Estt.(A) dt. 01.11.1999)

The fundamental requirements of these Rules are integrity, honesty, efficiency and good behaviour of public servant. Most of the disciplinary proceedings arise from the breach of these rules, charges of lack of integrity, wary from naked corruption and abuse of official position. Integrity, on the other hand, is wholesome uprightness honesty and purity; departmental action can be taken against the public servant for lack of integrity. Devotion to duty is the third aspect. A public servant, who habitually fails to perform task assigned to him, shall be deemed to be lacking in devotion to duty. Every Railway servant holding a supervisory post shall take all possible steps to ensure that his subordinates maintain absolute integrity and devotion to duty. Rule 3(2)i of the R.S (Conduct)

Rules, 1966 expects that the conduct of the employee should conform to the ordinary norms of the ancillary prevailing in the society and one should not violate the laws of the land. Conduct **unbecoming** of a Government servant has been left to the discretion to the Government. A Government servant should not bring discredit to the services. Action can also be taken for the past misconduct committed by the Government Servant. Even not vacating quarter /mis-utilizing of the advance taken from the government refunding or not refunding in time even at the private level amounts to misconduct, unbecoming of a Government servant as does moral turpitude.

To curb this ambiguity the government has issued gazette notification on August 6, 2014 to amend the All India Service (Conduct) Rules for IAS, IPS and the All India Service Officials of the Indian Forest Service. As many as 19 provisions have been inserted into the existing rules, and now every member of the service throughout India should maintain "high ethical standards, integrity and honesty" and political neutrality. Every member of the service should adhere to the principle of promoting merit and fairness. Other such rules are that the public servant should ensure there is no discrimination especially against weaker sections, should not misuse his/her position, take decision solely in public interest, take decisions and make choices in merit alone, declare private interest relating to his public duties. On the same manner Ministry of Railway has also issued notification, vide letter no. E(D&A)2014 GS1-3 dt. 12.01.2015 (Advance correction slip No.125) and inserted 21 points which are equally applicable to all Railway servants.

The change in the atmosphere of public opinion has brought about the direct jacket norm of the civil service system. However, in the final analysis, the characteristics of the community set the tone for the public and private sectors of civil servants. When society is in turmoil and new values are emerging, certain types of private actions should not be taken unnecessarily harsh and punitive, as long as it will not bring public notoriety. The unbecoming of a government servant is still a term which is not known to the general public and therefore to identify the conducts which falls within its scope still requires a lot of awareness and rules so that it is not misused with the ambiguity attached to the meaning of it. However, the Disciplinary Authority should first satisfy themselves that the alleged acts of misconduct **do not attract the provisions of any specific rule** before taking recourse to Rule 3(1) (iii). Where action is taken under Rule 3(1) (iii) particularly *on the grounds of unbecoming conduct*, special care should be taken to eliminate cases of trivial nature.

NATURAL JUSTICE IS A SYMBOL OR EXPRESSION OF USEFULNESS, TO PREVENT ONE PERSON FROM HARMING OR BEING HARMED BY ANOTHER.

- EPICURUS -

एक भारत श्रेष्ठ भारत

कौशिक सेनगुप्ता
कार्यालय अधीक्षक, सतर्कता शाखा
प.म.रे. जबलपुर

"जहां डाल–डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा" कभी कभी लगता है यह सही था या किवदंती है। आज के परिप्रेक्ष्य में रूपये के अवमूल्यन को देखते हुए यह सोने की चिड़िया फुर्र हो गई है, तो यह किवदंती सी ही लगती है।

"जहां सत्य, अहिंसा और धर्म का पग–पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा" सत्य और अहिंसा आज झूठ के बोलबाले और मार–काट के बीच बेमानी सी प्रतीत होती है और धर्म आज धर्मांधता बनकर पग–पग में अपना डेरा जमाये बैठी है।

11 सितंबर 1893 को शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अमरीकी भाईयों और बहनों को संबोधित करते हुए कहा था कि – **मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूं। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं।** दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाने वाली जननी यानि भारतमाता के सर्वधर्म समभाव को क्या किसी की नजर लग गई?

मानव सभ्यता की उत्पत्ति के उपरांत कहीं न तो धर्म था और न ही जाति थी। ईश्वर की सार्वभौमिक स्वीकृति (Universal Acceptance) के लिए मतवाद अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य मानवता की सेवा करना था न कि मनुष्य को वर्गों में विभाजित करना। तत्पश्चात् श्रेष्ठि वर्ग ने मनुष्य को उनके द्वारा किये जा रहे कार्य या धंधे के अनुसार विभक्त किया।

राष्ट्र का समय समय पर पुनर्जागरण होता गया। आर्य समाज, ब्रम्ह समाज, प्रार्थना समाज और थियोसोफिकल सोसायटी जैसे मूर्धन्य संगठनों ने भारतीय नागरिकों को राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उनके उत्तदायित्वों से उनका परिचय कराया तथा उनमें देश के प्रति उनके कर्तव्यों को संपूर्ण कर्तव्यपरायणता व निष्ठा के साथ निर्वहन करने की भावना जागृत की। स्वतंत्रता के पश्चात् देश का उत्तरोत्तर विकास होता गया एवं

नागरिक भी जागरूक होते गये परंतु जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और भाषाई विवाद से हम आज भी उबर नहीं पाये है।

इसी तारतम्य में इन्हीं मुद्दो से बाहर निकलने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने 31 अक्टूबर 2015 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एक नयी पहल को लागू किया जिसे **"एक भारत श्रेष्ठ भारत"** के नाम से जाना जाता है।

भारत सरकार की ये पहल शुरू होने की प्रक्रिया में है जो देश के विभिन्न भागों में वर्तमान सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से भारत के लोगो के बीच एकता को बढ़ावा देगी। इस पहल के अंतर्गत पारंपरिक आधार पर हर साल देश के एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने की योजना निश्चित की गई है। जिसमें एक राज्य दूसरे राज्य की समृद्ध विरासत को लोकप्रिय कर सकते है। उदाहरण स्वरूप हरियाणा राज्य को तमिलनाडु राज्य के साथ जोड़ा जा सकता है और इसकी समृद्ध विरासत को विभिन्न कार्यक्रमों जैसे अपने राज्य में पर्यटन, साहित्यिक आयोजन, बुक फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल, सांस्कृतिक गतिविधियां नृत्य, गीत आदि के माध्यम से दोनों प्रदेश परिचित होंगे।

इस तरह प्रत्येक वर्ष देश का एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ेगा और अपने राज्य की धरोहर को बढ़ावा देगा। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य उन भारतीयों के बीच भी संबंधों को सुधारना है जो पूरे देश में अलग–अलग भागों में रह रहे है। यह पहल लोगों को लोगों से जोड़ेगी और वास्तव में देश में एकता को बढ़ायेगी।

इसका मुख्य लक्ष्य युवा वर्ग यानि परस्पर दो चुने गये राज्यों के विद्यार्थियों का वैचारिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक ताल–मेल बिठाना है। आज का युवा वर्ग यानि देश का भविष्य, इनके जुड़ने से अनेकता में एकता को बढ़ावा मिलेगा।

विभिन्न देशों की राष्ट्रीय विद्यार्थी विनिमय अर्थात् National Students Exchange योजना के अंतर्गत दो देशों के विद्यार्थी इस प्रकार देशों की अदला बदली कर जुड़ते है। "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के अंतर्गत यह कार्यक्रम दो देशों में नहीं बल्कि दो राज्यों के लोगो को जुड़ने का, एक दूसरे को समझने का सराहनीय प्रयास होगा।

अब बात ये है कि इस कार्यक्रम में रेलों की क्या भूमिका होगी?विश्व में चौथे नंबर पर लगभग 66,687 किमी के विस्तृत नेटवर्क में फैले अपने लगभग 7216 स्टेशनों के माध्यम से 22 अरब यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ने का कार्य भारतीय रेल बखूबी कर रहा है। रेले गगनचुंबी हिमश्रृंखला के कश्मीर को हिंद

महासागर व अरब सागर की सीमाओं पर स्थित कन्याकुमारी से जोड़ती है तो सुदूर उत्तर पूर्व असम से कच्छ के रण की दूरी को अपनी निर्बाध यात्रा के जरिए कम करती है। रेलों का एक एक कोच एक लघु भारत की छवि दिखाता है। एक ही कोच में विभिन्न संप्रदाय, जाति और भिन्न–भिन्न भाषा बोलने वाले यात्री जब अपने विचारों, रीति रिवाजो और यहां तक कि खान–पान का आदान प्रदान करते है तो रेलों द्वारा अनायास ही यात्रियों को आपस में जुड़ता देख भारतीय रेल पर और रेल परिवार से स्वयं को जुड़ा पाकर गर्व महसूस होता है भले ही एक कर्मचारी के रूप में नगण्य योगदान हो।

एक भारत से यहां तात्पर्य एकजुट होने से है। जैसे वर्तमान में गांव या शहरों में लगने वाले हस्तशिल्प प्रदर्शनी से लेकर मनोरंजन मेलों में शहर के कोने–कोने और आस–पास के कस्बों से जब जनता उमड़ पड़ती है तो विभिन्न राज्यों के हाथकरघा, शिल्पकला, कुटीर उद्योंगों और खानपान से लकदक स्टॉल से हर व्यक्ति जुड़ता है, परिचित होता है। कश्मीरी पशमीने से लेकर दक्षिण के कांजीवरम तक, गुजरात के कच्छ के कांच से सजे चादरों और बंदनवार से लेकर उत्तर–पूर्व सीमांत के चटाई कला के नमूनों तक, स्टॉलों में मिलने वाले चारों दिशाओं की सामग्री एक ही जगह उपलब्ध कराकर एक मेला ही लघु भारत बन जाता है। कुंभ मेला तो इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है।

ध्यान रहे कि हमें हमारी जड़ो को नहीं भूलना चाहिए। आपसी मेल जोल ही हिंदी व गैरहिंदी भाषी राज्यों के बीच की दूरियों को न केवल कम करेगा बल्कि अनायास पनपने वाली वैमनस्यता को दूर कर राष्ट्र की अखंडता का अक्षुण्ण बनाये रखेगा। यह कार्यक्रम एकजुट भारत को न केवल श्रेष्ठ वरन् सर्वश्रेष्ठ बनाने में अत्यंत सहायक होगा।

सतर्कता निवारक जाँच

1. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 17–09–2020 को जबलपुर डिवीजन में आरओएच में की गई एक निवारक जाँच में देखा कि तकनीकी निरीक्षकों ने अपनी गुणवत्ता जांच (दृश्य/आयामी/सामग्री संरचना/अन्य) के दौरान न तो टिप्पणियों में अपने निष्कर्षों का विवरण दिया है और न ही फाइल में कोई निरीक्षण पत्र रखा है। इस संबंध में प्रेक्षणों का विवरण/निरीक्षण पत्रक संलग्न करने के लिए संबंधित विभाग को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।
2. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 18.07.2020 को कटनी स्टेशन पर पार्सल कार्यालय में निवारक जांच की गई। पीडब्ल्यूबी 2011–105156 के तहत दिनांक 16/07/20 को हावड़ा से कटनी के लिए कुल 50 बंडल बुक किए गए। (चेक इनवर्ड पार्सल के दौरान) दिनांक 18.07.2020 को चेक के दौरान 35 बंडलों (कटनी स्टेशन पर पहुंचे) का पुनः वजन किया गया और रुपये 3461/– का अंडरचार्ज किया गया। आगे दिनांक 20.07.2020 को शेष 15 बंडलों को 19.07.2020 को कटनी पहुंचने के बाद फिर से तौला गया, एमआर संख्या के तहत रुपये 4603/– का जुर्माना लगाया गया। अतः वसूल की गई कुल धनराशि 8064/– का दण्ड दिया गया
3. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 20.08.2020 को भोपाल मंडल के एक रेलवे अस्पताल में निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक को एक ग्रुप डी स्टाफ के साथ एक प्रथम श्रेणी स्पेशल ड्यूटी पास जारी किया गया था। यह भी देखा गया है कि उसी ग्रुप डी कर्मचारी को एक ही तिथि पर और एक ही स्थान की यात्रा करने के लिए अलग–अलग उद्देश्यों से दो द्वितीय श्रेणी के विशेष ड्यूटी पास जारी किए गए थे। तदनुसार संबंधित कर्मचारी को लघु शास्ति (चार्जशीट) जारी की गई है।
4. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 24.08.2020 को गाड़ी सं. 02296 में जबलपुर मंडल के जबलपुर से पिपरिया के बीच में निवारक जाँच की गई । चेकिंग के दौरान तीन यात्री बिना टिकट ट्रेन में यात्रा करते पाए गए। तद्नुसार यात्रियों से ₹ 8,120/– की राशि वसूल की गई।
5. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 11.09.2020 को गाड़ी क्रमांक 01062 में यात्रियों द्वारा की जा रही नियम विरूद्ध यात्रा/अनियमित यात्रा के संबंध में एक निवारक जाँच आयोजित की गई और ₹ 6385/– का जुर्माना लगाया गया।

6. स्रोत सूचना के आधार पर जबलपुर मण्डल के अंतर्गत एक स्टेशन के एसएसई (पीवे) कार्यालय पर दिनांक 17.09.2020 को की गई एक निवारक जाँच में द्वितीय श्रेणी सुविधा पास बुक की जाँच की गई और निम्न अनियमितताएँ पाई गईं:

क. एक पास क्र. 583438 जो कि दिनांक 20.01.2020 को जारी किया गया था, को उनके पास/पी.टी.ओ. लेजर में न तो वर्ष 2019 में और न ही वर्ष 2020 में दर्ज किया गया था।

ख. पास क्र. 583443 जारी किया गया था, लेकिन रिकॉर्ड लीफ जारी कर्ता प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था। इस संबंध में जब पास बुक बुलाया गया तो कर्मचारी का रिकार्ड लीफ जारी कर्ता प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं पाया।

ग. पास क्र. 583458 का रिकॉर्ड पन्ने पर हेर फेर किया गया एवं कर्मचारी का नाम बदल दिया गया। पास/पी.टी.ओ. का रिकार्ड लेजर में (जिन कर्मचारी का नाम लिखा गया या जिनका नाम मिटा दिया गया) दोनो में से किसी के नाम के खाते में दर्ज नहीं किया गया।

7. स्रोत सूचना के आधार पर जबलपुर मण्डल के न्यू कटनी जंक्शन रेलवे अस्पताल पर दिनांक 24.09.2020 को एक निवारक जाँच आयोजित की गई। जाँच के दौरान पाया गया कि एक कर्मचारी और उनके 25 वर्षीय पुत्र के नाम एक फर्स्ट क्लास सुविधा पास जारी किया गया था, परन्तु रिकॉर्ड में फैमिली डिक्लेरेशन फॉर्म और पुत्र का बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं पाया गया ।

8. स्त्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 09.10.2020 को मंडल कार्यालय, कोटा के वाणिज्य शाखा में की गई जाँच में पाया गया कि एक स्टेशन पर संचालित पार्किंग ठेके के सफलता पूर्ण समाप्ति के पश्चात् भी लगभग 02 साल से ठेकेदार की सुरक्षा निधि वापस नहीं की गई है। भविष्य में सावधानी रखने हेतु मंडल कार्यालय कोटा को पत्र लिखा गया।

9. स्त्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 14.10.2020 को की गई जांच में पाया गया कि स्वास्थ्य ईकाई, में कार्यरत सी.एम.पी. डॉक्टर (संविदा डॉक्टर) को ऑन–ड्यूटी यात्रा हेतु प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में विशेष ड्यूटी पास जारी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया गया कि स्वास्थ्य ईकाई में कार्यरत अस्पताल परिचर (एच.ए.) को द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी में तथा हाउसकीपिंग असिस्टेंट (एच.के.ए.) को तृतीय वातानुकूलित श्रेणी में विशेष ड्यूटी पास जारी किया जा रहा है जो नियमानुसार सही नहीं पाया गया। प्रकरण में पीसीएमडी/पमरे को संविदा डाक्टर की उपस्थिति एवं डयूटी पास की जानकारी मेंटेन करने हेतु पत्र लिखा गया।

10. 2×25 केवी टीएसएस के डिजाइन/संशोधन, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशन के कार्य के निष्पादन के पहलू पर दिनांक 14.10.2020 को सतर्कता निवारक जाँच की गई। यह जाँच सिंगल फेस ओएचई विद्युतीकरण प्रणाली से संबंधित है। प्रकरण में पीसीईई/पमरे को प्रणाली सुधार जारी करने हेतु पत्र लिखा गया।

11. ए.एम.एम. /BOXN में मटेरियल क्वालिटी चेक के संबंध में अनुभाग में सामग्री प्राप्ति पर दिनांक 24.10.2020 को प्रिवेंटिव चेक किया गया। परेषिती, राइट्स, आरडीएसओ के द्वारा सामग्री के निरीक्षण में पाये जाने पर प्रकरण में संबंधित कर्मचारियों को लिखित चेतावनी पत्र जारी किया गया।

12. भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन पर एक कार्य के अंतर्गत घिसे हुए सिगनलिंग गियर के रिप्लेसमेंट कार्य के निष्पादन के पहलू पर दिनांक 16.10.2020 को सतर्कता जाँच की गई। प्रकरण में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने एवं रिकवरी करने हेतु सुझाव देते हुए भोपाल मंडल को पत्र लिखा गया ।

13. आकस्मिक सतर्कता जाँच दिनांक 11.08.2020 में वरिष्ठ खंड अभियंता (रेल पथ) जबलपुर में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक को कर्मचारियों के अवकाश खाते में अनियमितता पाये जाने पर अभिलिखित चेतावनी एवं सहायक मंडल अभियंता, को अवकाश खाते में सुधार बावत् पत्र जारी किया गया।

14. आकस्मिक सतर्कता जाँच दिनांक 04.09.2020 पर जबलपुर मंडल के एक स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी को वेतन में परिवहन भत्ते के गलत भुगतान के कुल रूपये 4212/– की कटौती एवं स्टेशन पर कार्यरत सभी वाणिज्य कर्मचारियों के नये सिरे से ड्यूटी रोस्टर जारी करने के लिए वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, जबलपुर को पत्र जारी किया गया।

15. दिनांक 15.10.2020 को सतर्कता जाँच के दौरान सीनियर एस.एस.ई. (वर्क्स) बीईएचआर कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी हेल्पर द्वारा मात्र 02 घंटे ड्यूटी कर बिना किसी पूर्व अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित पाया जाना एवं अपने गृह निवास जाने हेतु ट्रेन क्रमांक 02149 दिनांक 15.10.2020 को कटनी से दानापुर की यात्रा करते पाया जाना सिद्ध हुआ है। मामले में प्राथमिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है एवं सभी संलिप्त कर्मचारियों के बयान उपरांत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

16. दिनांक 04.11.2020 को एसएमएम/ईएलएस डिपों में क्वालिटी चैक के संदर्भ में स्टॉक आईटम पीएल क्रमांक 23890137 की प्राप्त सप्लाई की जाँच से संबंधित एक सतर्कता निवारक जाँच की गई। प्रकरण में अनियमितता पाये जाने पर संबंधित वरि. खंड इंजी. के विरूद्ध लिखित चेतावनी पत्र जारी किया गया।

17. एक सतर्कता जाँच में पात्रता मानदंड में अनियमितता के पहलू पर वाशिंग पिट एवं वाशिंग एप्रन और सिक लाइन में पावर सप्लाई व्यवस्था के कार्य हेतु दिनांक 11.11.2020 को वरि. मंडल वि. अभि./सामा. कार्यालय में जाँच की गई। प्रकरण में प्रणाली सुधार जारी करने हेतु पत्र लिखा गया।

18. स्त्रोत सूचना के अनुसार दिनांक 18.11.2020 को गाड़ी संख्या 01448 में बरगावा से ब्योहारी स्टेशन के मध्य सतर्कता निवारक जाँच की गई जिसमें प्रथम वातानुकूलित श्रेणी में एक यात्री दिनांक 18.11.2020 के अनुार आरक्षित टिकट पर यात्रा करते हुए पाया गया जबकि गाड़ी के चार्ट में उक्त यात्री का नाम दर्ज नहीं पाया गया। अतः उक्त यात्री को बिना टिकट मानते हुए रू 2480/– से प्रभारित किया गया।

19. एएमएम/बीओएक्सएन में मटेरियल की क्वालिटी चेक के संबंध में "Irregularity in inspection of material by consignee, RITES, RDSO' के संबंध में प्राप्ति अनुभाग में 3.15 मि.मी. शीट के संबंध में दिनांक 20.11. 2020 को एक सतर्कता निवारक जाँच की गई। प्रकरण में संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध लिखित चेतावनी पत्र जारी किया गया।

20. स्त्रोत सूचना के अनुसार दिनांक 23.11.2020 को गाड़ी संख्या 02168 में कटनी से जबलपुर स्टेशन के मध्य सतर्कता निवारक जाँच की गई जिसमें जबलपुर से फ्लाईंग स्कॉड के साथ अनमेन्ड कोच एस–1 से एस–11 एवं सामान्य कोच (डी–1, 2, 3, 4 एवं डीएल–1, 2) में चैक के दौरान कुल 33 यात्री बिना टिकिट पाए गए जिनसे कुल रूपये 28,350/– वसूल किये गए।

21. स्त्रोत सूचना के अनुसार दिनांक 23.11.2020 को गाड़ी संख्या 02149 में जबलपुर से कटनी स्टेशन के मध्य सतर्कता निवारक जाँच की गई। जिसमें गाड़ी में उपलब्ध पैंट्री कार जो कि मेसर्स जयन्त कुमार घोष के नाम पर आवंटित है, में 02 अनाधिकृत वेंडर बिना परिचय पत्र एवं मेडिकल कॉर्ड के साथ यात्रा करते पाए गए। जिनसे नियमानुसार बिना टिकिट यात्री मानते हुए रूपये 6900/– से प्रभारित किया गया।

22. दिनांक 10.12.2020 को वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सामा. के मांग पत्र पर GEM से 02 नग विभिन्न रेटिंग के एसी के क्रय कराने के पहलू पर सतर्कता निवारक जाँच की गई। जॉच में GEM पर पुराने मापदण्डो की सामग्री भी उपलब्ध पाई गई। प्रकरण में प्रणाली सुधार जारी करने हेतु पत्र लिखा गया।

23. स्त्रोत सूचना से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 14.12.2020 को गाड़ी संख्या 01062 को जबलपुर से नरसिंहपुर के मध्य जांच की गई जिसमें गाड़ी में उपलब्ध पैंट्री कार जो कि मेसर्स राठौर सर्विसेस को आवंटित है, कि जाँच के दौरान एक अनियमित यात्री पैंट्री कार में यात्रा करते पाया जिसे 4210/– से प्रभारित किया गया।

24. दिनांक 23.12.2020 को वरि.सा.प्र. डीजल शेड में नॉन स्टॉक आईटम की खरीदी में अनियमितता के संबंध में टेंडर क्रमांक 64195082 ओपनिंग दिनांक 11.02.2019 की सतर्कता जाँच की गई जिसमें पाया कि अन्य रेलवे की रेट से आठ गुने से अधिक रेट पर खरीदा गया। मामले में आगे की जाँच की जा रही है।

25. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 28.01.2021 को ट्रेन नं. 05018 सेक्शन सतना–जबलपुर के मध्य उड़न दस्ते के साथ ट्रेन के अनमेंट कोचेस में टिकिट जाँच के दौरान 103 बिना टिकिट यात्रियों से कुल रूपये 84180/– की राशि रेल राजस्व के लिए एकत्रित करवाई।

26. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 04.02.2021 को मैहर से कटनी के मध्य गाड़ी क्रमांक–01094 तथा कटनी से जबलपुर के मध्य गाड़ी क्रमांक –02168 में सतर्कता निवारक जाँच की गई, जाँच के दौरान गाड़ी में 253 अनियमित यात्री (बिना टिकिट यात्री) पाए गए जिनसे कुल रूपये 2,20,420/– वसूल कर रेल राजस्व में जमा कराया गया।

27. दिनांक 24.02.2020 को प्रिवेंटिव चैक SMM/DSL डिपो में किया था जिसमें सप्लाई मटेरियल में कुछ पैरामीटर की कमी पाई गयी थी। उस कमी के संबंध में रूपये 2,51,871/– वसूल कर रेल राजस्व में जमा कराया गया। साथ ही प्रकरण में दोषी पाए गए एक अराज.कर्मचारी के विरूद्ध दीर्घ शास्ति आरोप पत्र, 01 राजपत्रित अधिकारी एवं 02 अराज. कर्मचारियों के विरूद्ध लघु शास्ति आरोप पत्र, 02 अराज. कर्मचारियों के विरूद्ध चेतावनी पत्र जारी किया गया एवं प्रकरण अनुसार प्रणाली सुधार जारी करने हेतु पत्र लिखा गया।

28. दिनांक 17.08.2017 वरि. मण्डल यांत्रिक इंजीनियर के एक रेक मेंटनेंस डिपो में Mechanied coach cleaning चेक के संबंध में सतर्कता निवारक जाँच की गई थी। जाँच के फलस्वरूप एस.एस.ई/आर/एम के साथ एक कर्मचारी को दीर्ध शास्ति दी गई एवं फर्म से मार्च माह 2021 में कुल रूपये 13,35,483/– वसूल कर रेल राजस्व में जमा कराया गया।

29. स्त्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 10.03.021 को मुख्य टिकिट निरीक्षक कार्यालय में आकस्मिक जाँच के दौरान पाया गया कि जबलपुर में कार्यरत कुल 317 टिकिट जाँच कर्मचारियों में से कुल 61 टिकिट जाँच कर्मचारियों द्वारा माह फरवरी, 2020 के मासिक रिटर्न्स विवरणी को पीसीसीएम/पीएफए/डब्ल्यू.सी.आर. द्वारा जारी JPO letter No. WCR/HQ/C/1121/JPO Cash Remittance dated 30.11.2018 के अनुसार समय पर कार्यालय में जमा नहीं किया गया। प्रकरण में पीसीएमएम/पमरे, पीएफए/पमरे एवं वरि. मंडल वाणिज्य प्रबंधक को उक्तानुसार जारी जेपीओ में निहित दिशा निर्देश के पालनार्थ पत्र लिखा गया।

30. स्त्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 23.03.21 को गाड़ी संख्या 02903 के कोटा स्टेशन पर आगमन के समय B-1 कोच में सर्तकता निवारक जाँच की गयी, जाँच के दौरान 6 यात्री रतलाम से सवाई माधोपुर के लिए इस कोच में पाये गए, जिनसे रूपये 8,610/– की जुर्माना राशी वसूल की गयी। यह कोच रतलाम से कोटा के मध्य कोटा अमेनिती टिकट चैकिंग स्टाफ द्वारा परिचालित किया जा रहा था।

31. दिनांक 28.03.2021 को गाड़ी संख्या 02059 में कोटा से सवाई माधोपुर के मध्य उड़नदस्ता स्टाफ को साथ लेकर संयुक्त सतर्कता निवारक जाँच की गयी, जिसमें 43 बिना टिकट यात्रियों से 19,050 रूपये की वसूली की गयी।

32. दिनांक 13.04.2021 को भोपाल स्टेशन प्रबंधक के अधीन कार्यरत वाणिज्य विभाग की महिला कर्मचारियों की CCL में अनियमित भुगतान की सूचना मिलने पर सतर्कता निवारक जाँच की गयी। अनियमितता के द्वारा अधिक प्रदान कर दी गयी राशि की गणना की जा रही है।

33. स्त्रोत सूचना के आधार पर सतर्कता निवारक जाँच दिनांक 18.04.2021 को इन मोशन वे ब्रिज पर की गयी जब एक 58 BOXNHL का रैक जो कि लाखेरी सीमेंट साइडिंग से चंडीगड़ जा रहा था और उसमें वजन किये जाने के दौरान कुछ वैगनों में अनुमत से ज्यादा वजन पाया गया एवं पार्टी द्वारा

मजदूर समय से नहीं उपलब्ध कराये जाने के कारण लोड एडजेस्टमेंट का कार्य किये जाने में 14 घंटे का समय लगा, जिसके लिए पार्टी से 3,56,333 रूपये का शंटिग चार्ज, इंजन डिटेंशन चार्ज का जुर्माना लगाया गया।

34. संकेत एवं दूरसंचार विभाग (निर्माण), कार्यालय में दिनांक 21.08.20 को ''अनरियलिस्टिक असेसमेंट ऑफ वर्क इन एस्टिमेट एण्ड टेण्डर शेड्यूल'' के परिपेक्ष्य में एक एल.ओ.ए. की निवारक जाँच की गई थी। जाँच दौरान यह पाया गया कि कार्य के अन्तिम बिल एवं फाइनल वेरियेशन के उपरान्त ठेकेदार से शेष रिकवरी किए बगैर सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज कर दी गई थी। सतर्कता जाँच में यह गलती संज्ञान में लाए जाने के पश्चात विभाग द्वारा संबन्धित ठेकेदार के अन्य कार्य के बिल में से शेष रिकवरी की राशि **₹ 1,89,760/- की कटौती कर ली** गई। उक्त प्रकरण में गलती के लिए जिम्मेदार कर्मचारी के विरूद्ध संबंधित कार्यालय द्वारा लघु शास्ति आरोप पत्र जारी किया गया है।

35. दिनांक 07.06.2021 को गाड़ी संख्या 09042 में बयाना जंक्शन से कोटा के मध्य उड़नदस्ता स्टाफ साथ लेकर संयुक्त सतर्कता निवारक जाँच की गई, जिसमे 226 बिना टिकिट यात्रियों से 1,53,205 रूपये वसूली की गई।

36. दिनांक 09.06.2021 को गाड़ी संख्या 09042 में बयाना जंक्शन से कोटा के मध्य उड़नदस्ता स्टाफ साथ लेकर संयुक्त सर्तकता निवारक जाँच की गई, जिसमें 93 बिना टिकिट यात्रियों से 84,355 रूपये की वसूली की गई।

37. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 09.06.2021 को सवाई माधोपुर से कोटा के मध्य गाड़ी क्रमांक 09042, दिनांक 19.06.2021 को बीना से भोपाल के मध्य गाड़ी क्रमांक 02104, दिनांक 22.06.2021 को कटनी से जबलपुर के मध्य गाड़ी क्रमांक 02194, तथा दिनांक 23.06.2021 को कटनी से जबलपुर के मध्य गाड़ी क्रमांक 02194 में सतर्कता निवारक जाँच के दौरान गाड़ी में कुल 1881 अनियमित यात्री (बिना टिकिट यात्री) पाए गए जिनसे कुल रूपये 14,65,790/– वसूल कर रेल राजस्व में जमा कराया गया।

38. दिनांक 11.06.2021 को गाड़ी संख्या 09040 में बयाना जंक्शन से कोटा के मध्य उड़नदस्ता स्टाफ साथ लेकर संयुक्त सर्तकता निवारक जाँच की गई, जिसमें 229 बिना टिकिट यात्रियों से 1,75,930 रूपये की वसूली की गई।

39. भोपाल मण्डल में केबिल कट प्रकरण में केबिल की उचित गहराई के संबंध में दिनांक10.07.2020 को बीना–महादेवखेड़ी खंड में निवारक जांच की गई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि आर.व्ही.एन.एल. के ठेकेदार द्वारा बिना दूरसंचार विभाग को सूचना दिये कार्य किया गया जिसके कारण केबिल कट गई थी। सतर्कता जांच में यह गलती संज्ञान में लाये जाने के पश्चात् आर.व्ही.एन.एल. द्वारा संबंधित ठेकेदार के बिल में से जून 2021 में पैनाल्टी की राशि 1,50,000/– की कटौती कर दी गई।

40. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 24.06.2021 को आरक्षण कार्यालय में सतर्कता निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि ड्यूटी पर कार्यरत आरक्षण लिपिक ने सतर्कता दल को देखकर अपने पास रखे हुए रूपये 1970/– को आरक्षण कार्यालय से लगे हुए स्टोर रूम में छुपाकर रख दिये जिसे सतर्कता दल ने ड्यूटी पर कार्यरत आरक्षण लिपिक एवं एक स्वतंत्र गवाह को साथ में लेकर स्टोर रूम से बरामद किये तथा उक्त राशि रूपये 1970/– को रेल राजस्व में एम आर. नं. एएलए 59832603 दिनांक 24.06.2021 के तहत जमा कराया गया।

41. दिनांक 21.06.2021 को गाड़ी संख्या 09042 में बयाना जंक्शन से कोटा के मध्य उड़नदस्ता स्टाफ साथ लेकर संयुक्त सर्तकता निवारक जाँच की गई, जिसमें 288 बिना टिकिट यात्रियों से 2,34,080 रूपये की वसूली की गई।

42. स्रोत सूचना के आधार पर दिनांक 28.01.2021 को ट्रेन नं. 05018 सेक्शन सतना–जबलपुर के मध्य उड़न दस्ते के साथ ट्रेन के अनमेंट कोचेस में टिकिट जाँच के दौरान 103 बिना टिकिट यात्रियों से कुल रूपये 84180/– की राशि रेल राजस्व के लिए एकत्रित करवाई। प्रकरण में कार्यवाही जारी है।

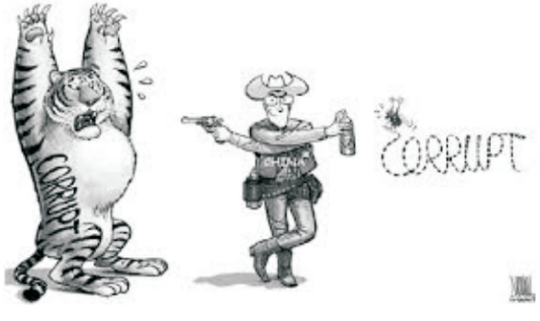

प्रणाली सुधार

कार्मिक

1. मान्यता प्राप्त यूनियन को जारी कार्ड पास के संबंध में।

दिनांक 20.03.2020 को की गई सतर्कता जांच में यह पाया कि पमरे मुख्यालय से एक कर्मचारी के नाम से दो प्रथम श्रेणी के कार्ड पास क्रमांक 00007 दिनांक 06.05.2003 को एवं कार्ड पास क्रमांक 0002744 दिनांक 15.11.2018 को जारी किये गये थे। उक्त कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्त (31.07.2019) होने के पहले उक्त डियूटी कार्ड पास को वापस नहीं किया गया।

प्रणाली सुधार के अंतर्गत कार्मिक विभाग, पमरे, जबलपुर द्वारा सर्वसंबंधित को आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में प्रणाली सुधार परिपत्रित करते समय निम्न बिंदुओं को भी शामिल किया जाए :–

1. किसी भी कार्ड पास का नवीनीकरण करने से पूर्व सक्षम अधिकारी स्तर से अनुमोदन लिया जाए।

2. किसी भी यूनियन का कार्ड पास का नवीनीकरण करने के पश्चात् इसकी जानकारी एक पत्र के माध्यम से मुख्यालय कार्मिक विभाग एवं संबंधित यूनियन के महासचिव को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

3. संबंधित कर्मचारी (यूनियन पदाधिकारी) की सेवानिवृत्ति अथवा यूनियन के पदाधिकारी पद से हटने/बदलने के पश्चात्, कार्ड पास को तुरंत ही कार्डधारक/यूनियन द्वारा जारीकर्ता को वापस प्राप्त होने को सुनिश्चित किये जाए, ताकि इसके दुरूपयोग की संभावना को समाप्त किया जा सके।

4. मान्यता प्राप्त यूनियन को कितने डिय्टी कार्ड पास आवंटित है एवं वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है उसका भी उचित रिकॉर्ड रखा जाए एवं समय–समय पर इसकी समीक्षा की जाए।

2. रेलवे कर्मचारी को प्रिविलेज पास/पीटीओ/स्कूल पास अपने कार्यालय/मुख्यालय के अलावा अन्य कार्यालय से जारी करना ।

सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक कर्मचारी एक मंडल से आईआरसीटीसी में प्रतिनियुक्ति पर कार्यमुक्त होने के बाद भी उस संभाग के पुराने कार्यालय से प्रिविलेज पास/पीटीओ का लाभ उठाता रहा। इसके लिए कर्मचारी द्वारा कोई लिखित सहमति नहीं थी कि कर्मचारी अपने मूल संगठन से पास खाते जारी रखना चाहता है।

इसके अलावा उन्होंने रेलवे के अन्य कार्यालयों (ट्रैक मशीन डिपो, एचबीजे/सीनियर एएफए (कॉन्स्ट.) भोपाल) से उसी नगर पालिका क्षेत्र/शहर (भोपाल) में उचित प्रमाणीकरण के बिना विशेषाधिकार पास/पीटीओ का लाभ उठाया।

यह भी देखा गया है कि संबंधित पास जारी करने वाले कार्यालय द्वारा उचित सूचना पत्र कर्मचारी के मूल विभाग/ संगठन या प्रतिनियुक्ति के स्थान पर नहीं भेजा जा रहा है। कर्मचारी ने अपनी बेटी और बेटे के पक्ष में आईआरसीटीसी/भोपाल और डब्ल्यूएओ/सीआरडब्ल्यूएस/भोपाल से स्कूल पास ले लिए और आईआरसीटीसी/ भोपाल से सूचना पत्र सीआरडब्ल्यूएस/ भोपाल में नियत समय पर प्राप्त नहीं हुआ था।

इसलिए एक कार्यालय में उनके विशेषाधिकार पास, पीटीओ और स्कूल पास का उचित लेखा–जोखा नहीं रखा जा सका, जिससे कर्मचारी द्वारा विशेषाधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है।

3. समूह–घ के कर्मचारियों का स्थानांतरण सबंधी पंजीयन रजिस्टर में उल्लेखित कर्मचारियों का स्थानांतरण क्रमबद्ध नहीं किये जा रहे हैं।

दिनांक 24.08.2020 को मुख्यालय सतर्कता दल के द्वारा एक मंडल के सहायक मण्डल अभियंता, के कार्यालय में सतर्कता जांच कार्यवाही की गई थी। जिसमें पाया कि सहायक मण्डल अभियंता, के कार्यालय से समूह–घ के कर्मचारियों का स्थानांतरण आवेदन के सबंधी डिपोबार मेनटेन किये जा रहे पंजीयन रजिस्टर में उल्लेखित कर्मचारियों का नाम और क्रम से स्थानांतरण आदेश जारी नहीं किये जा रहें जो मण्डल की स्थानीय पॉलिसी का भी उल्लंघन है।

सहायक मण्डल अभियंता द्वारा किये गये कुल 32 ग्रुप–डी कर्मियों का स्थानांतरण वर्ष–2020 में किया गया है जिसमें से 08 प्रशासनिक हित में और 24 स्वयं के अनुरोध पर किये गये हैं तथा किसी भी स्थानांतरण में पंजीयन रजिस्टर के क्रम को ध्यान में नहीं रखा गया है, यहाँ तक कि उक्त 32 स्थानांरित कर्मियों में से 21 कर्मियों का तो पंजीयन रजिस्टर में नाम ही दर्ज नहीं था जबकि उक्त रजिस्टरों में अलग अलग यूनिट बार लगभग 126 कर्मी स्थानांतरण हेतु प्रतीक्षित थे। इस प्रकार सहायक मण्डल अभियंता, के द्वारा आउट ऑफ टर्न स्थानांरण आदेश किये हैं एवं प्रचलित पॉलिसी के अनुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन या स्वीकृत भी नहीं ली गई है।

अतः सभी सबंधित सहायक मण्डल अभियंता को निर्देशित करें कि स्थानांतरण व पदस्थापना के सबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

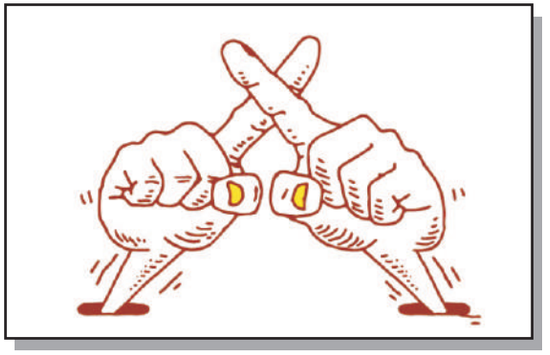

मैकेनिकल

4. कार्य अनुबंध के तहत प्रदाय किये जा रहे मटेरियल की गुणवत्ता जाँच हेतु Pre-Inspection Clause समाहित करने के संबंध में।

सतर्कता जांच में पाया गया कि एक मंडल के मेकेनिकल विभाग के एक कार्य अनुबंध दिनांक 17.03.2020 के तहत प्रदाय किये जा रहे मटेरियल की गुणवत्ता हेतु RITES/RDSO से Pre-Inspection हेतु कोई Clause समाहित नहीं पाया गया, जबकि मटेरियल हेतु RDSO/RCF/ICF/etc का specification दर्शाया गया है एवं मटेरियल schedule में कुछ सामग्री की लागत रु 5 लाख से अधिक है।

अतः मेकेनिकल विभाग को प्रणालीगत सुधार हेतु सुझाव दिया गया, कि सामग्री हेतु RDSO/RCF/ICF/ specification या detailed specification दर्शाए होने पर, जिन मदों के मटेरियल का मूल्य रु 5 लाख से अधिक हो उन मटेरियल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य अनुबंध में RITES/RDSO के Pre-Inspection clause को समाहित करने की आवश्यकता है।

इस संबंध में सभी संबंधितों को दिशा–निर्देश जारी किये जाये, जिससे कार्य अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त सामग्री की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित हो सके।

5. लॉन्ड्री की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए दिए गए अनुबंध का कार्य।

लॉन्ड्री की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग और संचालन (एसी कोचों में लिनन की धुलाई और आपूर्ति) के तीन साल के लिए अनुबंध के कामकाज के संबंध में एक निवारक जांच की गई थी और दो साल के लिए लॉन्ड्री के व्यापक रखरखाव का कार्य एक फर्म को दिया गया था। कार्य की कुल लागत रुपये 2,44,25,354/– थी, जांच के दौरान पाया गया कि :–

1. अनुबंध की अवधि 30.11.2019 को पूरी हो चुकी थी, लेकिन ठेकेदार ने मार्च 2018 से नवंबर 2019 तक की अवधि के बिल जमा नहीं किए थे।
2. संबंधित ठेकेदार से रुपये 40,70,768/– की वसूली भी लिनेन की कमी के संबंध में नहीं की गई थी।
3. मौजूदा ठेकेदार को ही तीन साल (आगामी समय) की अवधि के लिए कुल रु. 2,22,45,249 में नया ठेका दिया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रणाली में सुधार की सलाह दी जाती है :–

1. यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि ठेकेदार द्वारा मासिक आधार पर बिल अनिवार्य रूप से जमा किया जाना चाहिए। आगामी माह में मासिक बिल जमा करने के लिए निर्धारित समय, सेवा अनुबंध (SOP) 2018 के जीसीसी का पैरा 6.1. 4 के अनुसार किया जाना चाहिए।
2. यदि ठेकेदार आगामी माह में निर्धारित समय अवधि के भीतर मासिक बिल जमा करने में विफल रहता है, तो वह दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। जुर्माना लगाने के लिए उपयुक्त समय अवधि तय की जानी चाहिए। (सेवा अनुबंध 2018 के जीसीसी का संदर्भ पैरा 6.1.4 और 6.4.11 (जी) के अनुसार)
3. सेवा अनुबंध 2018 के जीसीसी के पैरा 5.6.5 में उल्लिखित मदों के अनुसार, ठेकेदार द्वारा जमा किए गए बिल का भुगतान किया जाना चाहिए।
4. यह भी देखा गया है कि ठेकेदार द्वारा मासिक बिल जमा करना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अधिकारियों की जिम्मेदारी का भी कोई उल्लेख नहीं है। अतः अनुबंध में इसका भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि विफलता की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सके।
5. यदि किसी ठेकेदार के पास पिछले अनुबंध की बकाया राशि है, तो उसे नया अनुबंध देने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए या इस शर्त पर अनुबंध दिया जाना चाहिए, कि कार्य शुरू होने से पहले बकाया राशि की वसूली की जा सके। इस संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करने के लिए रेलवे बोर्ड से संपर्क किया जा सकता है, ताकि भविष्य में रेलवे को कोई वित्तीय नुकसान न हो और प्रासंगिक कानूनी दायित्वों को भी सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा

6. एक मंडल के स्टेशन में चल रहे कोल अनलोडिंग साइडिंग के डिपाजिट वर्क के बिलों के भुगतान व समायोजन में अनियमितता के सम्बन्ध में

एक सतर्कता जाँच के प्रकरण में यह पाया गया है कि एक मंडल के वरि.मंडल अभियंता (समन्वय) कार्यालय एवं मंडल लेखा कार्यालय में डिपाजिट वर्क के रजिस्टर का रखरखाव कोड एवं मैन्युअल के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है तथा इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत कर्मचारी व लेखा कार्यालय के सम्बंधित कर्मचारी द्वारा कार्य को लापरवाही पूर्वक बिना जिम्मेदारी के किया जा रहा है।

अतः प्रणाली सुधार के अंतर्गत निम्न सुझाव वरि.मंडल वित्त प्रबन्धक एवं वरि.मंडल अभियंता (समन्वय) को दिये गये है ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

1. प्रत्येक डिपाजिट वर्क का रजिस्टर इंजीनियरिंग कोड के पैरा–1481 और 1848 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए तथा इसमें की गयी एंट्री को माह के अंत में जनरल बुक्स जमा राशि से समायोजन किया जाना चाहिए।
2. बही अनुभाग द्वारा क्रेडिट की राशि सम्बंधित अनुभाग को डिपाजिट वर्क एलोकेशन में देने के बाद ही सम्बंधित लेखा अनुभाग एवं इंजीनियरिंग विभाग द्वारा डिपाजिट वर्क रजिस्टर में उतनी ही राशि का जमा बैलेंस दिखाया जाना चाहिए न कि कार्यकारी विभाग द्वारा केवल मौखिक रूप से सूचित करने के आधार पर।
3. लेखा कार्यालय में अनुरक्षित डिपाजिट विविध सस्पेंस रजिस्टर में क्रेडिट व इंजीनियरिंग विभाग में अनुरक्षित डिपाजिट वर्क रजिस्टर में बैलेंस को प्रत्येक माह मिलान कर वरि. अनुभाग अधिकारी (लेखा) एवं वर्क्स अकाउंटेंट (लेखा) द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए ताकि पार्टी द्वारा प्रस्तुत बिलों पर निधि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में कोई त्रुटि न हो।

7. (सीआईपीएस) सस्पेंस का समय पर समाधान और देरी से बचाव के सुझाव ।

सतर्कता जाँच में यह पाया गया कि क्रिस (CRIS) ने ठेकेदारों/कर्मचारियों को आई पास से सीधे एसबीआई (नोडल बैंक) के माध्यम से भुगतान करने के लिए एक केंद्रीकृत एकीकृत भुगतान प्रणाली विकसित की गई है। इस प्रणाली में आसान ट्रैकिंग के लिए यूटीआर नंबर स्वचालित रूप से मिलान किया जाता है और डेटाबेस में अपडेट किया जाता है, अपवाद (Exception) रिपोर्ट प्राप्त करके, रिटर्न डेटा तक पहुँचा जा सकता है सीआईपीएस अवैतनिक (unpaid) रजिस्टर आसान ट्रैकिंग के लिए उपलब्ध है।

अवैतनिक (unpaid) लेनदेन के लिए संयुक्त वाउचर को तत्काल तैयार किया जा सकता है। हालांकि, यह देखा गया है कि विफल एनईएफटी/सीआईपीएस लेनदेन की रिपोर्ट क्रिस/ सीआईपीएस के सर्वर को दी जा रही है और फिर इसे संबंधित क्षेत्रीय रेलवे बुक सेक्शन में स्थानांतरित कर दिया जाता है, कई बार क्रिस अधिकारी संबंधित रेलवे को राशि हस्तांतरित करने में देरी करते हैं। असफल एनईएफटी लेनदेन भी तकनीकी कारणों से देरी से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। क्रिस के माध्यम से विफल लेनदेन का विवरण प्राप्त करने के बाद, पुस्तक अनुभाग आवश्यक सुधार के लिए उसे संबंधित अनुभाग में स्थानांतरित कर देता है और सुधार के बाद बिलों को भुगतान की व्यवस्था के लिए संसाधित किया जाता है।

जांच में यह पाया गया है कि असफल भुगतान के कुछ मामले ऐसे हैं जहां फरवरी–20 में, अप्रैल–20 में, मई–20 में और जून–20 में 20 दिनों से अधिक की देरी हुई। हालांकि ये महीने कोरोना काल में आते हैं लेकिन क्रिस के जरिए आई पास में डिटेल ट्रांसफर करने में हो रही देरी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

अतः व्यवस्था सुधार के अन्तर्गत निम्नलिखित सुझाव सम्मिलित किये जा सकते हैं:–

(i) अवैतनिक डेटा को दिन–प्रतिदिन के आधार पर सॉर्ट करके क्रिस (CRIS) के स्तर पर प्रत्येक रेलवे के लिए देरी को कम करने के प्रयास की आवश्यकता है ताकि अवैतनिक राशि (Unpaid amount) आई पास में तुरंत दिखाई दे।

(ii) एसबीआई (नोडल बैंक) सर्वर के माध्यम से सीधे आई पास में अवैतनिक (Unpaid) डेटा अपलोड करने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा सकता है और ऐसी व्यावहारिक समस्याओं से बचने के लिए क्षेत्रीय रेलवे के परामर्श से क्रिस के माध्यम से आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि बिना देरी के अवैतनिक (unpaid) लेनदेन के लिए संयुक्त वाउचर तैयार किया जा सके।

वाणिज्य

8. एक स्टेशन पर खान–पान ठेकों से संबंधित लाइसेंस फीस आंशिक रूप से जमा होने के कारण, 31 लाइसेंसियों के विरुद्ध कुल देय पेनाल्टी राशि रु. 37,95,105/– संचयित होने व वसूली न होने के सम्बन्ध में।

एक सतर्कता जांच के क्रम में यह पाया गया कि एक स्टेशन पर संचालित खान–पान ठेकों में से 31 लाईसेंसियों ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार, कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सम्पूर्ण लाइसेंस फीस को जमा न कर आंशिक रूप से जमा किया, फलस्वरूप जांच तिथि तक कुल रु.37,95,105/– की देय पेनाल्टी राशि संचयित हो चुकी थी, इनमें से कुछ मामलों में ठेका संचालन कर रहे लाईसेंसियों के विरुद्ध देय पेनाल्टी राशि का भुगतान वर्ष 2013–14 से न किये जाने के कारण देय पेनाल्टी राशि में अनवरत वृद्धि जारी है, जिसका संग्रहण रेलवे खाते में अतिशीघ्र किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रकरण में ना तो स्टेशन प्रबंधक के स्तर पर और ना ही मंडल वाणिज्य कार्यालय के स्तर पर नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सम्पूर्ण लाइसेंस फीस के जमा न करने के फलस्वरूप संचयित पेनाल्टी राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही की गयी। यद्यपि सतर्कता जांच के उपरांत स्टेशन प्रबंधक द्वारा स्वयं के स्तर पर की गयी कार्यवाही के फलस्वरूप केवल रु.1,68,348/– रेल राजस्व में प्राप्त हो सकी। प्रकरण में अधिरोपित पेनाल्टी के मद में शेष राशि रु.36,26,757/– की वसूली अभी भी की जानी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रणाली सुधार के अंतर्गत निम्न सुझावों को शामिल कर जारी अनियमितता को समाप्त करने हेतु ठोस उपाय किये जा सकते है। पत्र प्रधान मु.वाणिज्य कार्यालय एवं मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय को लिखा गया है।

1. मंडल कार्यालय से LOA जारी होने के उपरांत व ठेका संचालन से पूर्व, मंडल कार्यालय में पदस्थ मु. वाणिज्य निरीक्षक, कैटरिंग इस आशय का प्रमाण पत्र जारी करे कि जिस ठेकेदार द्वारा खान–पान ठेके का संचालन किया जाना है, उसके द्वारा नियमानुसार सम्पूर्ण लाइसेंस फीस जमा कर दी गयी है, जारी LOA में इस तथ्य की कंडिका का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि संपूर्ण लाइसेंस फीस जमा न किये जाने की दशा में केवल विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की लिखित सहमति के उपरांत ही ऐसा संभव होगा, जिसके लिए सक्षम अधिकारी स्वविवेक का प्रयोग करते हुए निर्णय लेगा। इस हेतु LOA प्राप्त होने के उपरांत ठेका संचालन करने वाले ठेकेदार द्वारा आंशिक लाइसेंस फीस जमा करने हेतु आवेदन करना होगा जिसमे कब तक लाइसेंस फीस नियमानुसार देय पेनाल्टी सहित जमा कर दी जाएगी इसका स्पष्ट उल्लेख करना होगा। आंशिक फीस जमा करने के लिए लिखित आवेदन के अभाव में ऐसा कोई भी प्रकरण केवल मौखिक आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाना चाहिए।

2. सक्षम अधिकारी की अनुमति के उपरांत, आंशिक लाइसेंस फीस जमा कराये जाने की दशा में मु.वाणिज्य निरीक्षक, कैटरिंग व्यक्तिगत तौर पर मामले की निगरानी करेंगे व शेष लाइसेंस फीस की वसूली नियमानुसार पेनाल्टी सहित कराकर ऐसे सभी मामलों की जानकारी प्रतिमाह सक्षम अधिकारी के संज्ञान में लायेंगे ताकि शेष वसूल की जाने वाली राशि हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा समय पर उचित निर्णय लिए जा सकें।

3. आंशिक लाइसेंस फीस जमा कराये जाने की दशा में मु. वाणिज्य निरीक्षक, कैटरिंग इस आशय की लिखित सूचना संबंधित स्टेशन को देगा, जिससे स्टेशन प्रबंधक एवं मु.वाणिज्य निरीक्षक को यह संज्ञान में रहे कि ठेका संचालन कर रहे ठेकेदार से कितनी राशि पेनाल्टी सहित वसूल की जानी है। तदनुसार ही स्टेशन प्रबंधक कार्यालय द्वारा स्टेशन पर संचालित ठेकों से संबंधित रजिस्टरों को अनुरक्षित किया जाये।

4. निर्धारित लाइसेंस फीस कुछ मामलों में ठेका संचालित करने वाले ठेकेदार द्वारा RTGS/NEFT माध्यम से भी सीधे तौर पर मंडल कार्यालय में जमा करा दी जाती है, अतः इस आशय की जानकारी मु. वाणिज्य निरीक्षक, कैटरिंग लिखित रूप से पूर्ण विवरणों के साथ स्टेशन प्रबंधक को उपलब्ध कराएँगे ताकि स्टेशन पर ठेका संचालन करने वाले ठेकेदार से वसूल की जाने वाली राशि पर भ्रम की स्थिति ना रहे।

5. मंडल कार्यालय एवं स्टेशन के बीच आपसी समन्वय का अभाव के कारण ठेका संचालक हेतु वसूल की जाने वाली राशि की वसूली में देरी, कई मामलों में दृष्टिगत हुई है, अतः यह आवश्यक होगा कि शेष राशि व पेनाल्टी की वसूली वित्तीय वर्ष के अंदर अथवा ठेका अवधि समाप्त होने से पूर्व या संचालित ठेके के नवीनीकरण किये जाने से पूर्व कर ही ली जानी चाहिए। लंबित प्रकरणों में लाइसेंस फीस व पेनाल्टी न हो पाने की दशा में, त्वरित प्रभाव से संचालित ठेकों को बंद ना कराये जाने हेतु मु. वाणिज्य निरीक्षक, कैटरिंग व स्टेशन प्रबंधक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माने जायेंगे।

9. खानपान स्टालों के आवंटन के निविदा में बरती जाने वाली सतर्कता एवं प्रणाली में सुधार के संबंध में।

एक शिकायत के संबंध में सतर्कता निवारक जाँच में प्लेटफॉर्म पर खानपान स्टॉलों के आवंटन के लिए निकाले गये निविदा में यह पाया गया कि स्टॉल का स्थान पोल सं. 'X' व 'Y' के पास (NEAR POLE NO. 'X'&'Y') बताया गया था, जो कि अस्पष्ट है। इस स्टॉल का स्थान या तो पोल सं. 'X' के पास (...स्टेशन की ओर) या फिर पोल सं. 'Y' के पास (...स्टेशन की ओर) अथवा पोल सं. 'X' व 'Y' के मध्य (BETWEEN POLE NO. 'X' & 'Y') लिखा जाना चाहिए था। ऐसा न होने के कारण अमुक स्टॉल सं. 'Z' का पहले तो पोल सं. 'Y' (...स्टेशन की ओर) के पास, फिर पोल सं. 'X' व 'Y' के बीच के स्थान पर आवंटन किया गया, जिसके कारण पार्टी द्वारा आवंटन के स्थान में परिवर्तन के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि पोल सं. 'X' व 'Y' के बीच आवंटित इसी स्टॉल सं. 'Z' के लगभग पीछे कुछ ही दूरी पर एक अन्य खानपान स्टॉल सं. 'A' का भी आवंटन किया गया था, किन्तु पार्टी द्वारा शिकायत करने एवं इसे ऑपरेट न करने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। जिससे रेलवे को भी रेल राजस्व की हानि हुई।

भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताएँ न हों इसके लिए निविदा निकालने के पूर्व व बाद में निम्नलिखित बातों का प्रणाली सुधार (System Improvement) प्रस्तावित किया गया है–

1. निविदा निकालने के पूर्व ही संबंधित स्थान (प्लेटफार्म) का अभियांत्रिक, वाणिज्य व अन्य संबंधित विभाग के द्वारा स्थान का भौतिक रूप से (physically) सर्वेक्षण (Spot Survey) किया जाना चाहिए तथा स्टॉलों के निर्धारण के समय तत्कालीन चल रहे स्टॉलों के स्थान को एवं प्रस्तावित स्टॉलों का युक्तियुक्त स्थान (reasonable place) सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. प्रस्तावित स्टॉलों के स्थान को निविदा में दर्ज करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह स्पष्ट रूप से यह इंगित करता हो कि कोई विशेष स्टॉल का स्थान किस माइलेज/मीटर/फीट पर है या फिर वह किसी पूर्व निर्धारित स्थान के किस ओर है अथवा वह किसी पूर्व निर्धारित दो स्थानों/पोलों के बीच में या किसी ओर है। इसके लिए स्थानों को दर्शाते हुए एक रेखाचित्र (sketch) भी तैयार करके संलग्न किया जाना चाहिए।
3. निविदा के लिए स्टॉलों के स्थान के निर्धारण के समय यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उस स्टॉल के लिए यात्रियों की पहुँच में असुविधा न हो तथा दो स्टॉलों के मध्य परस्पर उपयुक्त दूरी हो एवं यात्रियों के आवागमन में व्यवधान भी उत्पन्न न हो।

4. आवंटन के समय निविदा में निर्धारित किए गए स्थान पर ही यथाशीघ्र आवंटन किया जाना चाहिए। आवंटन के लिए अनावश्यक विलंब या अनधिकृत स्थान परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। अपरिहार्य परिस्थितियों में यदि स्थान परिवर्तन अनुमत करना पड़े तो उसके लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा, इसका स्पष्ट निर्देश जारी किया जाना चाहिए।

10. सफाई कार्य संबंधी मशीनों को एक प्लेटफार्म से प्लेटफार्म दो पर ले जाने के सम्बन्ध में प्रणाली सुधार।

एक मण्डल के एक स्टेशन पर सतर्कता जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयी –

(1) स्टेशन पर सतर्कता जाँच के दौरान पाया गया कि सफाई कार्य संबंधी मशीनों को एक प्लेटफार्म से प्लेटफार्म दो पर सफाईकर्मी उठा कर ले जाते है, ज्यादा वजन होने के कारण यह संरक्षा एवं सुरक्षा दोनों ही दृष्टिकोण से खतरनाक है।

(2) स्टेशन पर किये गये सफाई अनुबन्ध में एक जेट प्रेशर मशीन का प्रावधान है परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि स्टेशन पर इस मशीन के लिये आवश्यक प्रेशर पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है।

इस प्रकार की अनियमितताओं की पुनरावृति नहीं हो इसके लिये निम्नलिखित प्रणाली सुधार किये जा सकते है

(1) सफाई हेतु ठेके आवंटित करने के पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि ऐसे स्टेशन जहां एक से अधिक प्लेटफार्म पर एक ही मशीन का प्रावधान किया जाना है तो यह सुनिश्चित किया जाये की सफाई मशीनों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर ले जाये जाने हेतु उचित पाथ–वे या रैम्प स्टेशन पर उपलब्ध है।

(2) सफाई हेतु ठेके आवंटित करने के पूर्व इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए कि यदि पानी की उपलब्धता के अनुसार मशीनों को अनुबन्ध में शामिल किया जावे ताकि अनुबंध की राशि को अधिक तर्कसंगत किया जा सकता था। जैसे इस प्रकरण में जेट प्रेशर मशीन का प्रावधान होना पाया गया, जबकि स्टेशन पर मशीन के लिये आवश्यक प्रेशर पर पानी की उपलब्धता बहुत कम है।

11. पार्किंग अनुबंध के संचालन की निगरानी के लिए प्रणाली में सुधार।

एक स्टेशन पर पार्किंग स्टैंड के संचालन के संबंध में एक निवारक जांच की गई। जांच के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई हैं–

1. नियमित निविदा आमंत्रित करने में विलम्ब हुआ था ।
2. एनआईटी को ठोस वित्तीय स्थिति और अनुभवी व्यक्ति/फर्म और सहकारी समिति और बेरोजगार युवाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने की शर्त के समावेश के साथ प्रकाशित किया गया था, जो डब्ल्यूसीआर पार्किंग नीति के अनुसार नहीं है। ऐसी किसी भी शर्त को शामिल करने के लिए PHOD की स्वीकृति लेनी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं ली गई थी।
3. 27.01.2017 से 26.04.2017 तक 90 दिनों की अवधि के लिए प्रदान की गई कोटेशन 21.05.2018 तक जारी रही।
4. 01.01.2018 से 21.05.2018 की अवधि के लिए पार्किंग लाइसेंस शुल्क जो कि रु. 5,42,850/– की वसूली नहीं हो सकी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पार्किंग ठेके के संचालन की निगरानी के लिए निम्नलिखित व्यवस्था में सुधार की सलाह दी जाती है –

1. निरीक्षक और अधिकारी दोनों स्तरों पर अधिकारियों की भूमिका को नामित और परिभाषित करके मंडल स्तर पर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ऐसी चूक की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।
2. लाइसेंस शुल्क जमा करने और निविदा प्रक्रिया शुरू करने के लिए समय अवधि निर्दिष्ट की जाए ताकि निविदा में देरी और संभावित राजस्व हानि से बचा जा सके।
3. यथासंभव उद्धरण (Quotation) को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और दुर्लभ अपरिहार्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए। यह भी निगरानी की जानी चाहिए कि उद्धरण (Quotation) विशिष्ट समय अवधि से आगे जारी नहीं रहना चाहिए।

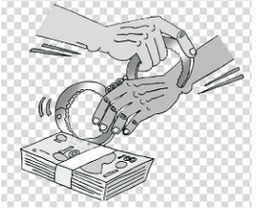

अभियांत्रिकी

12. वार्षिक जोनल संविदाओं (Annual Zonal Contract) के निष्पादन में अनियमितताओं के लिए प्रणाली में सुधार।

एक मंडल में वर्ष 2018–19 के लिए जोनल कार्य के लिए आयोजित एक सतर्कता जांच के दौरान, यह देखा गया कि जोनल कार्य की राशि पिछले वर्ष के 1.2 करोड़ से बढ़ाकर 3.07 करोड़ कर दी गई है। मूल्य में इस वृद्धि (लगभग 3 गुना) के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था और रिकॉर्ड पर कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था।

आगे यह भी देखा गया कि अध्याय/अनुसूचीवार (chapter/schedule) राशि का उल्लेख एनआईटी/निविदा अनुसूची में किया गया था, लेकिन कई अध्यायों में अनुबंध के निष्पादन के दौरान या तो कोई कार्य आदेश नहीं दिया गया था या आवंटित राशि की बहुत कम राशि (यहां तक कि 20% से भी कम) के लिए कार्य आदेश दिया गया था। यह भी देखा गया कि कुछ कार्यादेश जून के अंतिम सप्ताह में अत्यावश्यकता का हवाला देते हुए दिए गए थे लेकिन कुछ दिनों के बाद बिना काम के रेलवे खाते पर कार्य आदेश बंद कर दिए गए थे। किसी अध्याय/अनुसूची में निविदा आमंत्रण के समय आवंटित राशि के लगभग 400% के लिए कार्य आदेश दिया गया था, यह भी देखा गया है कि वर्ष 2014–15 के जोनल कार्य को 3–4 वर्षों के बाद भी फाइनल नहीं किया गया था ।

मंडलों से जोनल वर्क चैप्टर/अनुसूची की राशि तय करने की प्रणाली के संबंध में विवरण मांगा गया था। परन्तु संभागों से प्राप्त उत्तर से स्पष्ट है कि अध्याय/अनुसूचीवार राशि एवं जोनल कार्यों की कुल राशि का निर्धारण करने में कोई वस्तुनिष्ठता नहीं है। साथ ही यह भी देखा गया है कि विशेष अध्याय/ अनुसूची के लिए आवंटित राशि के संबंध में कार्यादेश की निगरानी/योजना की कोई व्यवस्था नहीं है।

जारी किए गए अधिकांश कार्य आदेशों में, उन स्थानों के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है जहां कार्य किया जाना है। व्हाइट वॉश एवं कलर वॉश कार्य में प्लास्टिक इमल्शन पेंट्स/एक्सटीरियर वेदर कोटिंग पेंट की मदों का संचालन किया जा रहा है। चूंकि इन पेंट्स के निर्माता द्वारा प्रदान की गई वारंटी 5 से 7 साल के बीच है, इसलिए इस अवधि से कम से कम व्हाइट वॉश और कलर वॉश के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जांच के दौरान यह देखा गया कि व्हाइट वॉश और कलर वॉश दो साल की अवधि के भीतर किया जा रहा है। साथ ही हर तिमाही में व्हाइट वॉश और कलर वॉश के हर चक्र के साथ पुट्टी के आईटम का उपयोग किया जा रहा है।

उपरोक्त विसंगतियों को देखते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुधार का सुझाव दिया जाता है:–

1) ''भारतीय रेलवे वर्क्स मैनुअल'' के प्रासंगिक पैराग्राफ के अनुसार हर साल संबंधित एसएसई (कार्य) द्वारा सभी भवनों/जल प्रतिष्ठानों आदि का निरीक्षण किया जाना है। यह सुझाव दिया जाता है कि इन निरीक्षण मूल्यांकन के आधार पर, जोनल कार्य की राशि (अध्याय/अनुसूची के अनुसार) तय की जानी है और अप्रत्याशित स्थिति/आपात स्थिति के लिए, राशि को अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से जोनल कार्यों के मूल्य पर पहुंचने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए।

2) व्यक्तिगत कार्य आदेशों में उन स्थानों के बारे में पर्याप्त विवरण होना चाहिए जहां कार्य किया जाना है। नालों, सड़कों और पाइपलाइनों की मरम्मत/निर्माण से जुड़े कार्यों के साथ प्रासंगिक रेखाचित्रों के साथ होना चाहिए जो सटीक स्थानों और किए जाने वाले कार्य के प्रकार को इंगित करते हैं।

3) प्रत्येक कार्य आदेश की तकनीकी जांच अंतिम बिल स्तर पर डिवीजन (सीडीएम) द्वारा की जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य आदेशों में उल्लिखित स्थान और मात्रा फील्ड इकाइयों द्वारा प्रस्तुत बिलों के साथ मेल खाते हैं और तकनीकी रूप से उचित हैं।

4) विचाराधीन कार्य की अंतिम मरम्मत की तिथि, विशेष रूप से व्हाईट वॉश/कलर वॉश/पेंटिंग आदि के मामले में, कार्य आदेश में अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

5) सभी कार्यादेश 31 मार्च तक स्वीकृत होने चाहिए, हालांकि, केवल असाधारण मामलों में, DEN/सीनियर DEN 31 मार्च के बाद भी कार्य आदेश को विधिवत दर्ज किए गए कारणों के साथ स्वीकृत कर सकते हैं।

6) बाहरी/आंतरिक प्लास्टिक इमल्शन पेंट/अपक्षय कोट के लिए उपयुक्त वारंटी/गारंटी अवधि को अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और पुट्टी, पॉलिशिंग, बाहरी/आंतरिक इमल्शन पेंट्स/वेदर कोट जैसी महंगी वस्तुओं का उचित रिकॉर्ड रखना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7) दोहराए जाने वाले कार्यों जैसे व्हाईट वॉश आदि का विस्तृत माप इंजीनियरिंग कोड पैरा संख्या 1327 में निर्धारित मानक माप पुस्तकों (एसएमबी) पर आधारित होना चाहिए। संदर्भ एमबी का उपयोग करने की प्रणाली, यदि किसी भी इकाई पर प्रचलित है, बंद किया जाना चाहिए।

8) यह भी देखा गया है कि कुछ शीर्षों में कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया था और कुछ शीर्षों के विरुद्ध जारी किए गए कार्य आदेश का मूल्य 50% से कम था, यह अधिकारियों की ओर से खराब निगरानी को दर्शाता है।

9) जीएम(डब्ल्यू)/डब्ल्यूसीआर के पत्र संख्या मुख्यालय/डब्ल्यूजी/आरबी सर्क–/56 पं. IV/ए दिनांक 19.06.14 के अनुसार योजना और प्रगति दोनों के संबंध में कार्य आदेश की उचित निगरानी की जानी चाहिए ताकि सुरक्षा जमा और निष्पादन गारंटी की जब्ती के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

''यदि एजेंसी विशेष अध्याय का कार्य नहीं करती है या USSOR के किसी विशेष अध्याय के लिए सभी कार्य आदेशों में प्रदान की गई राशि के 25% से अधिक कार्य आदेश रद्द कर दिया जाता है, तो इसे गैर–संतोषजनक प्रदर्शन माना जा सकता है और पूर्ण सुरक्षा जमा और प्रदर्शन गारंटी जब्त/वसूली की कार्यवाही जा सकती है''

कृपया उपरोक्त मदों पर आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि वार्षिक जोनल कार्यों की उचित निगरानी और क्षेत्रीय कार्य में एसडी एवं पीजी की उचित रिहाई/जब्ती सुनिश्चित की जा सके।

13. नए भवन निर्माण कार्यों, रेलवे आवासीय क्वार्टरों और स्टेशन भवनों में गैर आईएसआई जल भंडारण टैंक की आपूर्ति और स्थापना के संबंध में।

एक कार्य में स्टेशन भवन एवं रेलवे क्वार्टरों में गैर आईएसआई जल भंडारण टैंकों की आपूर्ति एवं स्थापना के संबंध में, जाँच के दौरान, यह पाया गया कि अनुबंध की शर्तों के अनुसार टैंकों की आपूर्ति USSOR मद संख्या 136150 के तहत की जानी है। आईएसआई 12701:1996 के अनुसार पानी भंडारण की विभिन्न क्षमताओं के पॉलीथीन टैंकों के लिए वजन और दीवार की मोटाई उपरोक्त विनिर्देश में निहित तालिका 1 में पृष्ठ संख्या 3 के अनुसार होनी चाहिए।

अध्याय 13 पृष्ठ संख्या 543 और 544 में दिए गए संयुक्त मानक विनिर्देशों के अनुसार पॉलीथीन जल भंडारण टैंक की आपूर्ति और स्थापना के संबंध में निर्माण और सामग्री के लिए, पैरा 13.22.0 के तहत आईएस 12701 ''घूर्णन (Rotational) मोल्ड पॉलीथीन पानी भंडारण टैंक'' को संदर्भित किया जा सकता है, हालाँकि अध्याय 13 में तालिका संख्या 13.19 पृष्ठ संख्या 544 के संयुक्त मानक विनिर्देश और IS 12701:1996 में शामिल तालिका 1, पृष्ठ संख्या 3 के मानक विनिर्देश बेमेल है।

कार्य और सामग्री के लिए टैंकों के संयुक्त मानक विनिर्देशों के अनुसार अध्याय 13 तालिका संख्या 13.19 पृष्ठ संख्या 544 पर, 200, 300, 400, 500, 700, 1000, 1500, 1700, 2000, 2500 और 3000 लीटर क्षमता वाले टैंक दीवार की मोटाई आईएस 12701:1996 की तालिका 1 में पृष्ठ संख्या 3 में दिए गए विनिर्देशों से अधिक दिखाते हैं। साथ ही आईएस 12701:1996, में 1250 लीटर क्षमता के टैंक का कोई उल्लेख नहीं है।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपूर्ति की गई कोई भी पॉलीथीन पानी भंडारण टैंक वजन और दीवार की मोटाई में आईएस 12701: 1996 में निर्धारित विनिर्देश और USSOR मद संख्या 136150 के संयुक्त मानक विनिर्देश दोनों विनिर्देशों को पूरा नहीं कर सकती है।

इसके अलावा कार्यों और सामग्री के लिए संयुक्त मानक विनिर्देश अध्याय 13 पृष्ठ संख्या 544 पैरा 13.22.7 स्थानीय उप–नियमों के बारे में बात करता है, टैंक और उसके घटक मच्छरों के खतरे की रोकथाम के लिए स्थानीय उप–नियमों की पुष्टि करेंगे, आईएस 12701:1996 में निर्धारित विनिर्देशों के तहत पॉलीथीन पानी के भंडारण टैंक के निर्माण और बाजार में उपलब्ध होने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। रेलवे या आईएस विनिर्देशों में मच्छर रोधी व्यवस्था के संबंध में स्पष्ट निर्देश और आवश्यक मानचित्र उपलब्ध नहीं हैं।

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है प्रभावी और उचित गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए शर्तों को शामिल किया जाए और तदनुसार ठीक किया जाए।

विद्युत

14. जेम (GEM) अनुबंध द्वारा 5 स्टार रेटिंग एयर कंडीशनरों की खरीद से संबंधित।

इलेक्ट्रिकल जनरल के एक डिपो में सतर्कता जांच के दौरान यह पता चला कि 5 स्टार रेटिंग एयर कंडीशनर के लिए जेम (GEM) अनुबंध दिनांक 01.05.2020 को एक फर्म के पक्ष में बनाया गया था, जबकि इस उत्पाद के लिए 5 स्टार रेटिंग 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2019 तक वैध अवधि थी। चूंकि GEM अनुबंध दिनांक 01.05.2020 को उत्पन्न हुआ है, इसलिए इन एयर कंडीशनर को GEM पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि उनकी स्टार रेटिंग मान्य नहीं थी। स्टार रेटिंग के इस मुद्दे को GEM प्राधिकारियों के उचित स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि या तो स्टार रेटिंग की वैधता स्पष्ट रूप से इंगित की जानी चाहिए या इन कंपनियों को GEM पोर्टल पर इन एयर कंडीशनर को प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वैधता अवधि समाप्ति के बाद अनुबंध उत्पन्न न किया जा सके।

15. टीआरडी/पीएसआई की आउटसोर्स रखरखाव गतिविधि के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधारों का सुझाव दिया गया है:

i) ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की चेक शीट में अनुसूची (schedule item) के दोहराव से बचने के लिए स्थान, संख्या के साथ उपकरण क्रमांक भी होना चाहिए। चेक शीट उसी दिन या अनुसूची (schedule item) के अगले दिन तैयार की जानी चाहिए।

ii) ठेकेदार कर्मचारियों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों की चेक शीट पर संबंधित डिपो प्रभारी या एसएसई द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और इन चेक शीट में रेलवे प्रतिनिधि का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

iii) पावर ट्रांसफॉर्मर के कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के लिए बीडीवी और डीजीए को उसी एजेंसी से परीक्षण कराया जाना चाहिए जैसा कि टेंडर शेड्यूल / चेक शीट में बताया गया है। वे मानक जो स्थिति आधारित अनुरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं, इन चेक शीटों पर भरे जाने चाहिए।

iv) निविदा शर्त के अनुसार कार्य गतिविधि आधारित ठेकेदार कर्मचारियों की उपस्थिति स्पष्ट रूप से अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

v) अधिकारी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना है कि रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र संख्या एल.सं. 2012/सीई–I/सीटी/0/20 दिनांक 10.05.2013 का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और इसे केवल कागजी औपचारिकता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

vi) भुगतान के लिए भरी गई माप पुस्तिका में संबंधित एसएसई द्वारा स्थान (जहाँ अनुसूची की गतिविधियाँ की जाती हैं) की जानकारी होनी चाहिए और नमूना जांच के दौरान सिस्टम में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

vii) मौजूदा प्रावधानों के अनुसार विभिन्न स्तरों के ठेकेदार के कर्मचारियों को जारी किए जा रहे योग्यता प्रमाण पत्र का एक मानक प्रारूप होना चाहिए।

16. डब्ल्यूसीआर के एक निर्माण स्थल में सतर्कता जांच के दौरान, नए ओएचई कार्य के लिए सुझाव :

i) निविदा शर्त के अनुसार प्रत्येक 250 मीटर पर बियरिंग प्रेशर का परीक्षण डायल गेज टाइप पेनेट्रोमीटर द्वारा किया जाना चाहिए और इसे प्रत्येक नींव स्थल पर ठेकेदार द्वारा उपलब्ध भी कराया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक स्थान पर क्रास चेक की सुविधा हो, लेकिन सतर्कता चेक के दौरान एसएसई के पास ऐसा कोई रिकार्ड नहीं मिला जिसके माध्यम से यह पता लगाया जा सके कि प्रत्येक स्थान पर क्रास चेक किया गया था।

ii) सतर्कता जांच में, यह पाया गया कि मृदा परीक्षण रिपोर्ट में मिट्टी के स्तर और प्रकार के बारे में विवरण नहीं है और साइट के स्थानों से मिट्टी के नमूनों के संग्रह के तरीके के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है और रिपोर्ट मिट्टी के नमूने उपलब्ध कराने के 01 साल बाद दी गई थी।

iii) फील्ड सुपरवाइजर के पास उपलब्ध सीएसडी अहस्ताक्षरित थी और उसी के आधार पर फाउंडेशन का कार्य निष्पादित किया गया था। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निविदा कार्य के निष्पादन से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीएसडी अनुमोदित होना चाहिए।

iv) कार्य के दौरान मिट्टी के प्रकार में परिवर्तन के कारण क्रमांक 996/3ए पर नींव का प्रकार बीजी 7/147 से एनबीसी/126 में बदल दिया गया था। लेकिन सक्षम प्राधिकारी का कोई अनुमोदन नहीं था और यहां तक कि डीपीआर पर कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। इसलिए मिट्टी की स्थिति के अनुसार नींव के प्रकार में किसी भी परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अभिलेखों पर उपलब्ध होना चाहिए।

v) अधिकारी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आईआर जीसीसी में खंड संख्या 26ए को शामिल करने के संबंध में रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और इसे केवल कागजी औपचारिकता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

vi) यह देखा गया है कि साइट आर्डर बुक को बनाए रखने की कोई व्यवस्था नहीं थी, जबकि एलओए में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि साइट आर्डर बुक को कार्य स्थल पर दिन–प्रतिदिन के निर्देशों के निष्पादन के संबंध में बनाए रखा जाएगा। संबंधित एसएसई द्वारा साइट आर्डर बुक को साइट पर बनाए रखने की दिशा में, अधिकारी स्तर पर इस पहलू को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सिग्नल & दूरसंचार

17. आकलन (estimation) स्तर पर कार्य के निष्पादन भाग का यथार्थवादी मूल्यांकन

एक कार्य अनुबंध के संबंध में, आकलन स्तर (estimation stage) पर कार्य के निष्पादन भाग (execution stage) के वास्तविक मूल्यांकन के संबंध में सतर्कता जाँच के दौरान नोट किए गए अवलोकन निम्नानुसार हैं: –

(1) एक डिवीजन में सिग्नलिंग मदों की आपूर्ति और निष्पादन के कार्य के संबंध में एक सेक्शन में सीटीआर, टीएसआर, टीटीआर और टीडब्ल्यूआर विभिन्न ट्रैक कार्य किया गया था ।

(2) निविदा को 92.19 % आपूर्ति भाग और 7.81 % निष्पादन के साथ प्रदान किया गया था। सक्षम प्राधिकारी ने कार्य के लिए आपूर्ति (supply) एवं निष्पादन (execution) के अनुपात 65:35 का अनुमोदन प्रदान किया था ।

(3) काम पूरा होने के बाद, आपूर्ति (supply) हिस्से में कोई बदलाव नहीं देखा गया जबकि कार्य के निष्पादन (Execution) भाग में (–)51.62 % भिन्नता (variation) देखी गई है।

(4) चूंकि काम इंजीनियरिंग कार्यों से जुड़ा था, जिसके लिए केबल और सिग्नलिंग गियर की मामूली शिफ्टिंग की आवश्यकता थी, जिसमें वस्तुओं (item) की छोटी मात्रा जैसे केबल के लिए खुदाई, सभी प्रकार की सड़कों की क्रॉसिंग के लिए कटाई, ट्रैक क्रॉसिंग के लिए खुदाई, केबल रूट मार्करों को लगाना और सुरक्षित करने का कार्य किया गया था। जबकि केबल कोर की अवसान (termination), उपकरण की स्थापना, डीडब्ल्यूसी पाइप बिछाने, जीआई पाइप को ठीक करने जैसी कई वस्तुओं (items) की आवश्यकता नहीं थी।

अतः यह स्पष्ट है कि कार्य के निष्पादन भाग (execution part) को उचित मूल्यांकन (assessment) के बिना अनुमान के आधार पर तैयार किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि अनुमान के आधार पर तैयार किया निष्पादन भाग (execution part) को उचित मूल्यांकन (assessment) के बिना अनुमान के आधार पर तैयार नहीं किया जाना चाहिए। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को प्रासंगिक निर्देश जारी किए जाएं।

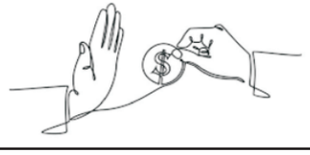

18. कार्य अनुबंध के तहत निर्मुक्त (released) सिग्नलिंग सामग्री का लेखा–जोखा।

एक एलओए में सतर्कता जांच के दौरान नोट किए गए अवलोकन इस प्रकार हैं:–

1) साइट से अनुबंध के तहत विभिन्न सिग्नलिंग सामग्री को खोला जाता है। अतः काम शुरू करने से पहले रेलवे के प्रतिनिधि और ठेकेदार को सर्वेक्षण करना चाहिए और निर्मुक्त (released) सिग्नलिंग सामग्री के लिए एक संयुक्त नोट तैयार करना चाहिए।

2) इस संयुक्त नोट के आधार पर खोली गई कुल सामग्री में से कुछ उपयोगी सामग्री को ओपन लाइन या अन्य विभाग जिन्हें इस सामग्री की आवश्यकता हो उपयोग के लिए रखा जा सकता है।

3) ठेकेदार द्वारा डिपो को कभी–कभी रिलीज सामग्री के साथ नई जारी की गई सामग्री जोड़कर लौटाई जाती है,

4) लौटाई गई सामग्री के लेखा के दौरान सामग्री की मात्रा में अंतर पाया गया है।

5) पूरी प्रक्रिया के दौरान, काम पूरा होने के बाद जारी सिग्नलिंग सामग्री के लेखांकन (accountal) के लिए कोई व्यवस्थित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

उपरोक्त को देखते हुए, यह सुझाव दिया जाता है कि परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार क्षेत्र अधिकारी (field officer) को सिग्नलिंग सामग्री जारी करने के कार्य पर भी उचित निगरानी रखनी चाहिए। (यदि सिग्नलिंग सामग्री जारी करने का उल्लेख अनुसूची (schedule) में किया गया है)

भंडार

19. सेल्फ लाइफ आइटम्स के स्टॉक मास्टर में 'सेल्फ–लाइफ पीरियड' को अपडेट करने के लिए और ऐसी वस्तुओं के विवरण में ''आइटम सेल्फ लाइफ है और दो महीने से अधिक पुरानी निर्माण तिथि स्वीकार्य नहीं है'' का उल्लेख करना।

सतर्कता जाँच के दौरान यह देखा गया है कि:

(i) बिटुमिनस कंपाउंड की खरीद के लिए अंतिम तिथि 08.04.2020 के साथ एक सीमित निविदा आमंत्रित की गई थी, जिसके आधार पर पी ओ जारी किया गया था। उपरोक्त मद सेल्फ लाइफ आइटम की एक एएसी मात्रा 300 किलोग्राम के लिए समय सीमा केवल 06 महीने के लिए दिया गया था, और कंपित (staggered) वितरण कार्यक्रम (delivery schedule) नहीं दिया गया था।

(ii) उपरोक्त मद बहुत पहले से टीकेडी पर अधिक मात्रा में उपलब्ध था लेकिन सहायता के आधार पर एकत्र करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

(iii) मुख्यालय खरीद आदेश के अंतिम सफल आपूर्तिकर्ता का नाम डिपो खरीद (depot purchase) के एलटी पैनल में शामिल नहीं किया गया था।

(iv) निविदा फाइल में कोई स्वीकृति (acceptance) रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और टीएस/आरआर की ऑनलाइन स्वीकृति के लिए भी किसी आधार का उल्लेख नहीं किया गया था।

(v) डिपो द्वारा स्वीकृत आपूर्ति में विनिर्माण तिथि या तो उल्लेखित नहीं थी या 06 महीने से अधिक पुरानी थी जो सतर्कता जांच के बाद खारिज कर दी गई थी।

इसलिए निम्नलिखित प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया जाता है।

(1) सभी सेल्फ लाइफ आइटम के स्टॉक मास्टर में सेल्फ लाइफ पीरियड को अपडेट करना। ऐसी वस्तुओं के लिए विवरण में उल्लेख होना चाहिए, ''वस्तु सेल्फ लाइफ है इसलिए सामग्री की आपूर्ति की तारीख निर्माण की तारीख से 60 दिनों के भीतर होनी चाहिए'' जैसा कि कई सेल्फ लाइफ वस्तुओं में वर्णित है।

(2) यदि सेल्फ लाइफ वस्तुओं का आवश्यकता से अधिक मात्रा के लिए पीओ जारी किया जाना है तो सेल्फ लाइफ वस्तुओं के लिए खरीद आदेश कंपित (staggered) आपूर्ति अवधि के साथ होना चाहिए।

(3) डिपो को सेल्फ लाइफ वस्तुओं की अवधि समाप्ति के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए डब्ल्यूसीआर के अन्य डिपो में सेल्फ लाइफ सामग्री (यदि बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो) से एकत्र करने का प्रयास करना चाहिए।

4) डिपो खरीद में मुख्यालय खरीद आदेशों के पिछले सफल आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करना चाहिए या उन फर्मों को खरीद प्रक्रिया से बाहर करने के लिए औचित्य का उल्लेख करना चाहिए।

(5) ऑनलाइन निविदा फाइल में प्रस्ताव की तकनीकी उपयुक्तता/दर युक्तिसंगतता स्वीकृति की एक प्रति रखना चाहिए।

(6) निर्माण से 60 दिनों के भीतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त वस्तु की निर्माण तिथि की जांच करना चाहिए ।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सभी फील्ड इकाइयों को उपयुक्त निर्देश जारी करें।

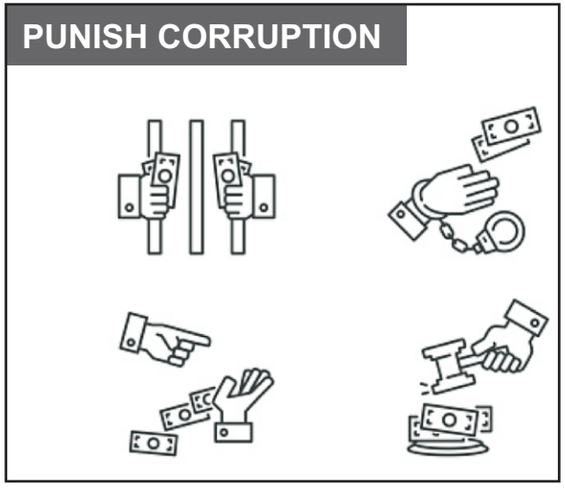

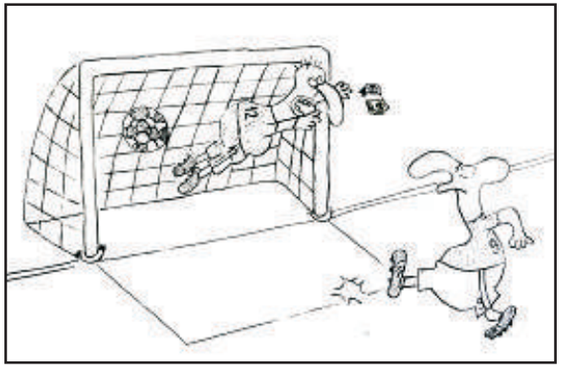

20. ओईएम और उनके स्थानीय विक्रेताओं की वास्तविकता के संबंध में सिस्टम में सुधार।

स्टोर डिपो में सतर्कता जांच के दौरान, दो वस्तुओं की गैर–स्टॉक (non stock) खरीद से संबंधित कागजात (एलएचबी कोचों के सर्ज सप्रेसर के साथ मुख्य संपर्ककर्ता (Main Contractor) और एलएचबी एसी कोचों के लिए डिन टाइप एचआरसी फ्यूज)। यह देखा गया है कि दोनों ही मामलों में ओईएम का डिलीवरी चालान और उसके अधिकृत डीलर प्रमाण पत्र आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जमा नहीं किया गया था। ओईएम और उनके स्थानीय विक्रेताओं की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित सिस्टम सुधारों का सुझाव दिया गया है:

i) आपूर्तिकर्ता को सामग्री आपूर्ति के साथ ओईएम/अधिकृत डीलर का डिलीवरी चालान जमा करना होगा ताकि ओईएम और उनके स्थानीय विक्रेताओं की वास्तविकता का पता लगाया जा सके।

ii) आपूर्ति की गई सामग्री की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए, ओईएम और उनके स्थानीय विक्रेताओं द्वारा ओईएम के खरीद और परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ मांग और खरीद आदेश पर नोट के रूप में नीचे उल्लिखित शर्त को जोड़ा जा सकता है:

''आपूर्तिकर्ता को ओईएम से जारी किए गए परीक्षण प्रमाण पत्र और वारंटी प्रमाण पत्र के साथ ओईएम या अधिकृत डीलर का डिलीवरी चालान जमा करना चाहिए''

iii) ओईएम द्वारा अधिकृत डीलर निश्चित अवधि के लिए वैध हैं, इसलिए इस संबंध में निर्देश भी जारी किए जाने चाहिए ताकि स्थानीय विक्रेता ओईएम से उनकी वैधता के साथ जारी प्राधिकरण प्रमाण पत्र भी जमा कर सके ।

भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करें।

01. भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए "Public Interest Disclosure and Protection of Informer" (The Whistle Blowers Resolution) के तहत शिकायत करें।

02. इसके अंतरगत शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखी जाती है।

03. शिकायत बंद लिफाफे में, जिसके उपर "Complaint under Public Interest Disclosure" लिखा हो, की जानी चाहिये।

04. शिकायत सीधे केन्द्रीय सतर्कता आयोग को निम्न पते पर की जाती है:

सचिव,

केन्द्रीय सतर्कता आयोग,

सतर्कता भवन, ब्लॉक "ए"

जीपीओं कॉम्पलेक्स, आईएनए

नई दिल्ली–110023

05. अनाम/छद्म नाम से की गई शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता है।

06. यदि शिकायतकर्ता के विरूद्ध बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है तो वह आयोग से इसकी शिकायत कर सकता है, तथा संरक्षा की मांग भी कर सकता है।

07. यदि शिकायत जान बूझकर परेशान करने की भावना से की जाती है तो आयोग शिकायतकर्ता के विरूद्ध भी कार्रवाई कर सकता है।

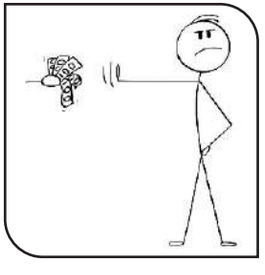

कार्यस्थल पर ईमानदारी के सुझाव :–

01. शासकीय सामग्री का उपयोग स्वयं के निजी कार्यों के लिए न करें।
02. खरीददारी करते समय प्राप्त अधिक पैसे तुरंत वापस करें।
03. साथी कर्मचारियों के साथ सद्भावनापूर्वक व्यवहार करें।
04. कार्य के दौरान नियमों का पालन करें।
05. यदि आप उच्च पदस्थ है तो अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य प्रारूप की जानकारी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व दें।
06. जो आप दूसरों से चाहते हैं वह स्वयं भी करें एवं जिम्मेदार बनें।
07. आवश्यकतानुसार खाली समय/ब्रेक टाईम में कार्य किया जा सकता है।
08. यदि आपसे कोई गलती कार्य के दौरान होती है तो उसकी जिम्मेदारी खुले मन से लें एवं भविष्य में पुनः न दोहराये।
09. मिल–जुल कर कार्य करें, यह विश्वास दृढ़ करता है एवं एकता को दर्शाता है।
10. कार्यस्थल की सुविधाओं एवं सामग्री का उपयोग शासकीय कार्य के लिए ही करें।
11. यदि किसी प्रकरण से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं तो उस प्रकरण से स्वयं को अलग कर लेंवे।
12. किसी कार्य को करने के लिए स्वयं अपनी राह चुनें एवं दूसरों के द्वारा किये गये कार्य का श्रेय न लें।
13. कोई भी व्यापारिक करार करते समय सभी बिन्दुओं/तथ्यों पर विचार–विमर्श कर लें।
14. अपने सिद्धांतों को त्याग कर कार्य न करें। यदि आवश्यकता हो तो अपने सिद्धांतों के अनुसार संस्थान का चुनाव करें।

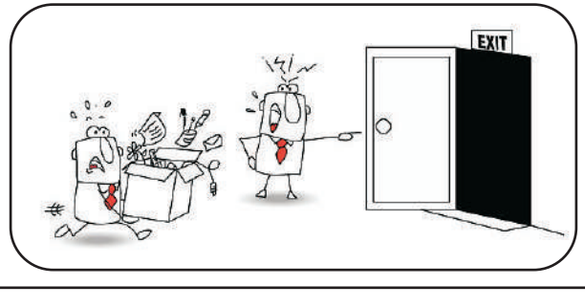

Integrity in the Workplace:-

1. Use materials for work and not personal use.
2. Turn in the extra change you found in the soda or snack vending machine.
3. Show respect to coworkers with appropriate conversation and empathy.
4. Adhere to company policies and procedures.
5. If you are in management, keep your employees informed so they will know what is coming and what needs to be done.
6. Be responsible. Do what you say you will do.
7. Work when you are supposed to and save socializing, snacking, searching the Internet and personal phone calls for break time.
8. If you make a mistake and a team's project gets messed up or you miss a deadline, own up to your mistake. Don't let teammates take the fall.
9. Work together as a team. This builds trust and shows integrity.
10. Never steal supplies from the workplace.
11. If you find yourself in a conflict of interest, get out of it as soon as possible.
12. Don't accept praise of acclaim for someone else's work. That includes stealing someone's idea or pretending to have worked on a successful project.
13. When making a business deal, make sure everything is on the table and nothing was left out.
14. If your company asks you to do something against your personal code of conduct, refuse. If it means losing a good paying job, so be it. Find a more ethical company to work for.

अनुलग्नक 'ख'

संगठनों के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

हमारा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हमारा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।

इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति-संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम किसी भी भ्रष्ट आचारण का हिस्सा नहीं हैं तथा भ्रष्टाचार के दृष्टांतों पर हम अत्यधिक सख्ती से कार्रवाही करते हैं;

हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करने में तथा अपने कार्यों के सभी पहलुओं में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता तथा सुशासन के उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए, एक संगठन होने के नाते हमें सामने से नेतृत्व करना होगा।

अतः हम प्रतिज्ञा करते हैं कि :-

- हम नीतिपरक कार्य पद्धतियों को बढ़ावा देंगे तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को प्रोत्साहन देंगे।
- हम ना तो रिश्वत देंगे और ना ही रिश्वत लेंगे।
- हम पारदर्शिता, जिम्मेवारी तथा निष्पक्षता पर आधारित निगमित सुशासन की प्रतिज्ञा करते हैं।
- हम कार्यों के संचालन में संबद्ध कानूनों, नियमावलियों तथा अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करेंगे।
- हम अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक नीति-संहिता अपनाएँगे।
- हम अपने कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के ईमानदार निष्पादन के लिए, उनके कार्य से संबद्ध नियमों, विनियमों आदि के बारे में सुग्राही बनाएँगे।
- हम समस्याओं तथा कपटपूर्ण कार्यकलापों की सूचना देने के लिए समस्या समाधान तथा पर्दाफाश तंत्र का प्रबंध करेंगे।
- हम संबंधित पक्षों एवं समाज के अधिकारों तथा हितों का संरक्षण करेंगे।

Annexure B

Integrity Pledge for Organizations

We believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress of our country. We believe that all stakeholders such as Government citizens and private sector need to work together to eradicate corruption.

We acknowledge our responsibility to lead by example and the need to put in place safeguards, integrity frameworks and code of ethics to ensure that we are not part of any corrupt practice and we tackle instances of corruption with utmost strictness.

We realize that as an Organization, we need to lead from the front in eradicating corruption and in maintaining highest standards of integrity, transparency and good governance in all aspects of our operations.

We, therefore, pledge that:

- We shall promote ethical business practices and foster a culture of honesty and integrity;
- We shall not offer or accept bribes;
- We commit to good corporate governance based on transparency, accountability and fairness;
- We shall adhere to relevant laws, rules and compliance mechanisms in the conduct of business;
- We shall adopt a code of ethics for all our employees;
- We shall sensitize our employees of laws, regulations, etc. relevant to their work for honest discharge of their duties;
- We shall provide grievance redressal and Whistle Blower mechanism for reporting grievances and fraudulent activities;
- We shall protect the rights and interests of stakeholders and the society at large.

परिवर्तन

"Be the change
you want to see in the world"
- Mahatma Gandhi

" To Give

REAL SERVICE

YOU MUST ADD SOMETHING
WHICH CANNOT BE
BOUGHT OR MEASURED
WITH MONEY. AND THAT IS

SINCERITY & INTEGRITY."

~ DOUGLAS ADAMS

फोटो गैलरी
(गत वर्ष के दौरान किये गये विशेष कार्यक्रम)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह में मुख्यालय पर शपथ ग्रहण समारोह में दिनांक 27.10.2020 को महाप्रबंधक महोदय द्वारा अधिकारियों एंव कर्मचारियो को सत्यनिष्ठा की शपथ ग्रहण कराई गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह में मुख्यालय पर दिनांक 27.10.2020 को सतर्कता पत्रिका का विमोचन एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह में वरि. उपमहाप्रबंधक एंव मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय द्वारा उत्कृष्ट एवं सत्यनिष्ठ कर्मचारियों को मुख्यालय पर दिनांक 27.10.2020 को पुरस्कृत किया गया।

दिनांक 20.01.2021 को उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी) द्वारा भोपाल मण्डल के इंजीनियरिंग विभाग के लगभग 40 अधिकारियों/रेल पथ पर्यवेक्षकों के साथ ऑन–लाइन सेमीनार किया गया।

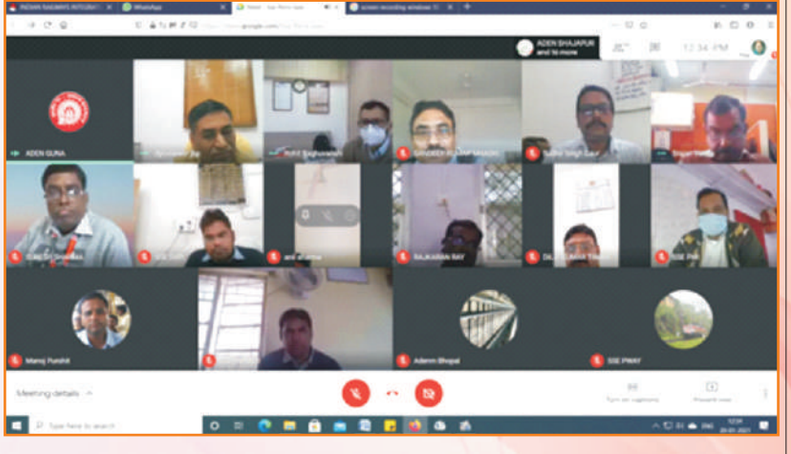

दिनांक 10.02.2021 के पमरे, मुख्यालय में सतर्कता जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे के समस्त जूनियर स्केल / ग्रुप–'ए' (डायरेक्ट) अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

दिनांक 17.02.2021 को विद्युत लोकोशेड, तुगलकाबाद में सीनियर डी.ई.ई. के सभागृह में सतर्कता जागरूकता सेमीनार आयोजित किया गया।

दिनांक 24.02.2021 सवाईमाधोपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के पर एक परस्पर संवादात्मक (interactive) सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

दिनांक 25.02.2021 को भरतपुर रेलवे स्टेशन पर परस्पर संवादात्मक (interactive) सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

दिनांक 23.03.2021 को हरदा रेलवे स्टेशन पर परस्पर संवादात्मक (interactive) सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

दिनांक 15.07.2021 को सतना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

सतना जंक्शन

दिनांक 16.07.2021 को रीवा रेलवे स्टेशन पर सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

दिनांक 23.07.2021 को रामगंजमंडी रेलवे स्टेशन पर सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

दिनांक 30.07.2021 को वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता में शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

दिनांक 13.09.2021 को कटनी डीजल लोको शेड में सतर्कता जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।

सतर्कता शिविर उपरांत एनकेजे डीजल शेड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम